भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-245
सोमवार, 5 फरवरी,2018/16माघ, 1939 (शक)

पीएमआरपीवाई

245. कुमारी शोभा कारान्दलाजेः
श्री प्रताप सिम्हाः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने कीकृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना(पीएमआरपीवाई) का उद्देश्य और उपलब्धियां क्या हैं;
(ख) 31.12.2017 को योजना के प्रारंभ करनेसे कर्नाटक राज्य के संबंध में पीएमआरपीवाई के अंतर्गत लाभार्थी स्थापनाओं/नियोक्ताओं की संख्या कितनी है;
(ग) उपरोक्त योजना को लागू करने के लिएकर्नाटक सरकार को प्रदान निधियों का ब्यौरा क्या है और इससे सूचित उपयोगिता कितनी है; और
(घ) सरकार द्वारा देश में रोजगार सृजन हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) का लक्ष्य औपचारिक क्षेत्र में नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहन देना है। यह योजना अनौपचारिक कर्मचारियों को औपचारिक करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देती है और बेरोजगार व्यक्तियों की भर्ती भी करती है।

योजना को 09.08.2016 से आरंभ किया गया था। सरकार नए कर्मचारियों हेतु नियोक्ता के 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना अंशदान का भुगतान करती है। वस्त्र (परिधान एवं बने-बनाए वस्त्र) क्षेत्र में, सरकार प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमपीआरपीवाई) के तहत नियोक्ताओं के 3.67% ईपीएफ अंशदान का भी भुगतान करती है, जो पीएमआरपीवाई के तहत 8.33% ईपीएस अंशदान के अतिरिक्त है। पीएमआरपीवाई योजना का प्रत्यक्ष लाभ यह है कि नए कामगारों की संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच होगी। 29 जनवरी, 2018 को प्रगति की स्थिति/योजना की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

(i) प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के तहत 21,54,806 लाभार्थियों को कवर करने वाले 28475 प्रतिष्ठानों को लाभ का हस्तांतरण किया गया।

(ii) प्रधान मंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमपीआरपीवाई) के तहत 1,77,284 लाभार्थियों को कवर करने वाले 595 प्रतिष्ठानों को लाभ का हस्तांतरण किया गया।

(ख): पीएमआरपीवाई के तहत योजना के आरंभ से कर्नाटक राज्य के संबंध में लाभांवित प्रतिष्ठानों/नियोक्ताओं की संख्या दिनांक 31/12/2017 तक 2024 है।

(ग): पीएमआरपीवाई के तहत राज्य सरकारों को कोई निधि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। तथापि, पीएमआरपीवाई के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में पंजीकृत नियोक्ताओं हेतु दिए गए राजसहायता भुगतान का योजना के आरंभ से दिनांक 31/12/2017 तक का ब्यौरा27,63,35,518/- रुपए है।

(घ): सरकार ने देश में रोजगार सृजन हेतु विभिन्न उपाय किए हैं- जैसे अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, व्यापक निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को तीव्रता से निष्पादित करना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (एमजीनरेगा), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)- दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना। सरकार मेक इन-इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, आदि योजनाएं लागू कर रही है और इनसे रोजगार के आधार में वृद्धि होने की संभावना है। स्व-रोजगार को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा मुद्रा और स्टार्ट-अप्स योजनाएं शुरू की जा रही हैं। सरकार ने कपड़ा क्षेत्र, जो रोजगार बहुल क्षेत्र है, के लिए 6000 करोड़ रुपए के एक बूस्टर पैकेज की घोषणा की है।

सरकार ने राष्ट्रीय आजीविका सेवा (एनसीएस) परियोजना को भी कार्यान्वित किया है, जिसमें रोजगार संबंधी सेवाओं का एक पैकेज उपलब्ध होने के साथ-साथ रोजगार चाहने वालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण एवं पोस्टिंग हेतु एक पोर्टल (www.ncs.gov.in) भी विद्यमान है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 286

सोमवार, 5 फरवरी 2018/ 16 माघ, 1939 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान

286. श्री राम चरित्र निषाद:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का न्यासी बोर्ड वर्तमान में नियोजकों द्वारा अनिवार्य अंशदान को आय के 12 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत करने वाले प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तीन व्यापारी संगठनों ने उक्त प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया है कि इससे सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कमजोर हो जाएंगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या ईपीएफओ विनिमय-व्यापारित निधि में निवेश सीमा को 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत करने पर भी विचार कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), केन्द्रीय भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ) की दिनांक 27.05.2017 को आयोजित 218वीं बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 के तहत वर्तमान 12 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की अंशदान की दर कम करने की एक कार्यसूची मद पर विचार-विमर्श किया गया था।

कर्मचारी, नियोक्ता और राज्य सरकार के प्रतिनिधि 12 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की अंशदान की दर कम करने के विरूद्ध थे। तत्पश्चात् इस मामले में आगे कार्रवाई नहीं की गई है।

(घ) और (ङ): सीबीटी, ईपीएफ द्वारा दिनांक 27.05.2017 को आयोजित 218वीं बैठक में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक कर दिया गया है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 321

सोमवार, 5 फरवरी, 2018/16 माघ, 1939 (शक)

विदेशों में कार्यरत भारतीयों के लिए ईपीएफओ कवरेज

321. श्री ए. अरुणमणिदेवन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अब विदेशों में कार्यरत भारतीय अपने मेज़बान देशों की सामाजिक सुरक्षा योजना से मुक्त हो सकते हैं और सेवानिवृत्त निधि निकाय ईपीएफओ से सुविधा प्राप्त कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सुविधा का लाभ उठाने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा चालू कर दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ईपीएफओ ने इस संबंध में 18 देशों के साथ समझौता किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): जी हाँ। यह सुविधा उन भारतीय कामगारों के लिए उपलब्ध है जिनको उनके नियोक्ता द्वारा उन देशों में नियुक्त किया गया है जिनके साथ भारत ने सामाजिक सुरक्षा समझौते (एसएसए) किए हैं और वे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से कवरेज प्रमाण-पत्र (सीओसी) लेते हैं।

(ग): कवरेज प्रमाण-पत्र (सीओसी) प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा का आरम्भ ईपीएफओ द्वारा किया गया है।

(घ) और (ङ): भारत ने 18 देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते (एसएसए) किए हैं, नामत: -

(i) ऑस्ट्रेलिया, (ii) ऑस्ट्रिया, (iii) बेल्जियम, (iv) कनाडा, (v) चेक गणराज्य, (vi) डेनमार्क, (vii) फिनलैंड, (viii) फ्रांस, (ix) जर्मनी, (x) हंगरी, (xi) जापान, (xii) कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया), (xiii) लक्समबर्ग, (xiv) नीदरलैंड, (xv) नॉर्वे, (xvi) पुर्तगाल, (xvii) स्वीडन, और (xviii) स्विट्ज़रलैंड।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 362

सोमवार, 5 फरवरी, 2018/16 माघ, 1939 (शक)

ईपीएस-95 योजना

362. श्री कल्याण बनर्जी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ईपीएफओ के पेंशनधारी ईपीएस-95 योजना की दर पर पेंशन पा रहे हैं और वह 2500 रुपए प्रतिमाह से कम है;

(ख) यदि हां, तो देश में 31.12.17 को ईपीएफओ पेंशनधारियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) 31.12.17 को कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान के प्रति ईपीएफओ खातों में कुल संचित निधि कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने ईपीएस खाताधारकों की बेहतरी के लिए भगतसिंह कोशियारी की सिफारिशों को स्वीकार और कार्यान्वित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इसके कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत पेंशन की गणना ईपीएस,1995 के उपबंधों के अनुसार की जाती है जो पेंशनयोग्य वेतन तथा पेंशनयोग्य सेवा के आधार पर 2500/-रुपये प्रतिमाह से अधिक अथवा कम हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 19.08.2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 593 (अ.) द्वारा 01.09.2014 से ईपीएस, 1995 के अंतर्गत 1000/-रुपये की न्यूनतम पेंशन निर्धारित की गई है।

(ख): 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार ईपीएस, 1995 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पेंशनरों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुबंध में है।

(ग): 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) [गैर-छूट प्राप्त क्षेत्र] की ईपीएफओ में संचित निधि अंकित मूल्य (फेस वेल्यू) पर ऋण निवेश (डेट इन्वेस्टमेंट) में 5,66,031.95 करोड़ रुपये (अनंतिम अलेखा-परीक्षित) है।

31.12.2017 की स्थिति के अनुसार ईपीएफ [गैर-छूट प्राप्त क्षेत्र] में संचित निधि लागत मूल्य पर इक्विटी तथा संबंधित निवेशों में 25,034.85 करोड़ रुपये (अनंतिम अलेखा-परीक्षित) है।

(घ) एवं (ङ): जी, नहीं। वित्तीय बाध्यताओं के कारण कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत सरकारी योगदान में बढ़ोतरी तथा कर्मचारी पेंशन निधि की वहनीयता बनाए रखने हेतु कोशियारी समिति की सिफारिशें भी स्वीकार नहीं की गई हैं।

तथापि, 01.09.2014 से ईपीएस, 1995 के अंतर्गत सरकार ने पेंशनधारकों को 1000/- रुपये की न्यूनतम पेंशन देना शुरू कर दिया है।

*

*****

अनुबंध

ईपीएस-95 योजना के संबंध में श्री कल्याण बनर्जी द्वारा दिनांक 05.02.2018 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 362 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क्र.सं.	राज्य	पेंशनधारकों की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2675
2	आंध्र प्रदेश	254357
3	असम	46799
4	बिहार	184032
5	चंडीगढ़	39554
6	छत्तीसगढ	82118
7	दिल्ली	130099
8	गोवा	22792
9	गुजरात	376500
10	हरियाणा	132447
11	हिमाचल प्रदेश	31577
12	झारखंड	142584
13	कर्नाटक	503593
14	केरल	381461
15	मध्य प्रदेश	199684
16	महाराष्ट्र	1039428
17	मेघालय	4286
18	ओडिशा	150183
19	पुदुचेरी	15001
20	पंजाब	102231
21	राजस्थान	153323
22	तमिलनाडु	692394
23	तेलंगाना	337856
24	त्रिपुरा	7124
25	उत्तर प्रदेश	475888
26	उत्तराखंड	54848
27	पश्चिम बंगाल	521665
	कुल	**6084499**

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 372

सोमवार, 5 फरवरी, 2018/16 माघ, 1939 (शक)

ईपीएफ सदस्यों को चिकित्सीय लाभ

372. श्री भरत सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत शामिल कर्मचारियों को चिकित्सीय लाभ प्रदान करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव है या योजना बनाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से देश में ईएसआई सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार ने ईपीएफओ से जुड़े सभी कर्मचारियों को ईएसआई सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई ई-नीति बनाई है/बनाने का विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पतालों के माध्यम से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 के पेंशनधारकों को चिकित्सा लाभ पहुंचाने के लिए एक पायलट योजना सरकार की जाँच के अधीन है।

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खातों की कुल संख्या का विवरण अनुबंध पर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सदस्य जो ईएसआईसी सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, उनसे संबंधित आंकड़ों का रख-रखाव ईपीएफओ द्वारा नहीं किया जाता।

(घ): जी, नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

* ****

अनुबंध

'ईपीएफ सदस्यों को चिकित्सीय लाभ' के संबंध में श्री भरत सिंह द्वारा पूछे गए दिनांक 05.02.2018 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 372 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

यथा दिनांक 31-03-2017 की स्थिति अनुसार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कर्मचारी भविष्य निधि में खातों की संख्या			
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	गैर-छूट प्राप्त	छूट प्राप्त	कुल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	34932	1	34933
आंध्र प्रदेश	3678246	77033	3755279
असम सहित अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, नागलैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और मेघालय	919952	25241	945193
बिहार	1210808	24901	1235709
चंडीगढ़	3141712	18618	3160330
छत्तीसगढ	1497119	50004	1547123
दिल्ली	14887564	659142	15546706
गोवा	1303786	12919	1316705
गुजरात सहित दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव	14965561	294498	15260059
हरियाणा	13675494	366092	14041586
हिमाचल प्रदेश	1328323	34181	1362504
झारखंड	1782764	215173	1997937
कर्नाटक	20172762	2324623	22497385
लक्षद्वीप सहित केरल	2930697	42991	2973688
मध्य प्रदेश	4315997	87754	4403751
महाराष्ट्र	35830640	2586446	38417086
ओडिशा	2842554	82898	2925452
पंजाब	2987623	63720	3051343
राजस्थान	4739045	184445	4923490
पुदुचेरी सहित तमिलनाडु	23056290	596799	23653089
तेलंगाना	10193992	498239	10692231
उत्तर प्रदेश	8078977	270237	8349214
उत्तराखंड	2637513	77271	2714784
पश्चिम बंगाल	7923925	662358	8586283
कुल	**184136276**	**9255584**	**193391860**

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 447

सोमवार, 5 फरवरी, 2018/16 माघ, 1939 (शक)

ईपीएफओ अंशधारक

447. प्रो. रिचर्ड हे:
श्री जॉर्ज बेकर:
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत नामांकित अंशधारकों की संख्या का केरल, पश्चिम बंगाल और गुजरात सहित राज्यसंघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में इन अंशधारकों को प्रदान की जा रही न्यूनतम पेंशन का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र- वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अंशधारकों की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की योजना बनी रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को कुछ राज्यों से अपने अंशधारकों को प्रदान की जा रही न्यूनतम पेंशन में वृद्धि हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि(ईपीएफ) सदस्यों का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार विवरण अनुबंध क में दिया गया है।

(ख): कर्मचारी पेंशन स्कीम(ईपीएस), 1995 के सदस्यों को प्रदान की जा रही न्यूनतम पेंशन का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार विवरण अनुबंध ख में दिया गया है।

(ग) और (घ): जी नहीं। दिनांक 19.08.2014 की अधिसूचना संख्या 593(अ.) के माध्यम से 1000/- रुपये की न्यूनतम पेंशन 01.09.2014 से निर्धारित नहीं की गई है।

(ङ): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 निम्नलिखित पर लागू होता है:

(i) ऐसा प्रतिष्ठान जो अनुसूची-। में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में कार्यबद्ध कारखाना हो तथा जिसमें 20 या इससे अधिक व्यक्ति कार्यबद्ध हों; तथा

(ii) 20 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाला कोई अन्य प्रतिष्ठान जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए।

अत:, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा इसके अंतर्गत बनाई गई स्कीमों के अंतर्गत सदस्य संबंधित स्कीमों के अभिदाता होते हैं न कि किसी सरकार विशेष के अभिदाता।

(च): उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ङ) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

******

अनुबंध-क

प्रोफेसर रिचर्ड हे, श्री जॉर्ज बेकर और श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा ईपीएफओ अभिदाताओं के संबंध में दिनांक 05.02.2018 को पूछे जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 447 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार सदस्य	**गैर-छूट प्राप्त**	**छूट-प्राप्त**	**कुल**
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	गैर-छुट प्राप्त	छुट प्राप्त	कुल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	34932	1	34933
आंध्र प्रदेश	3678246	77033	3755279
असम सहित अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, नागलैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और मेघालय	919952	25241	945193
बिहार	1210808	24901	1235709
चंडीगढ़	3141712	18618	3160330
छत्तीसगढ	1497119	50004	1547123
दिल्ली	14887564	659142	15546706
गोवा	1303786	12919	1316705
गुजरात सहित दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव	14965561	294498	15260059
हरियाणा	13675494	366092	14041586
हिमाचल प्रदेश	1328323	34181	1362504
झारखंड	1782764	215173	1997937
कर्नाटक	20172762	2324623	22497385
लक्षद्वीप सहित केरल	2930697	42991	2973688
मध्य प्रदेश	4315997	87754	4403751
महाराष्ट्र	35830640	2586446	38417086
ओडिशा	2842554	82898	2925452
पंजाब	2987623	63720	3051343
राजस्थान	4739045	184445	4923490
पुदुचेरी सहित तमिलनाडु	23056290	596799	23653089
तेलंगाना	10193992	498239	10692231
उत्तर प्रदेश	8078977	270237	8349214
उत्तराखंड	2637513	77271	2714784
पश्चिम बंगाल	7923925	662358	8586283
कुल	**184136276**	**9255584**	**193391860**

अनुबंध-ख

प्रोफेसर रिचर्ड हे, श्री जॉर्ज बेकर और श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा ईपीएफओ अभिदाताओं के संबंध में दिनांक 05.02.2018 को पूछे जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 447 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र**	**पेंशनधारकों की संख्या**
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	818
2.	आंध्र प्रदेश	74831
3.	असम	9387
4.	बिहार	49024
5.	चंडीगढ़	7324
6.	छत्तीसगढ	17410
7.	दिल्ली	24706
8.	गोवा	4614
9.	गुजरात	91720
10.	हरियाणा	23750
11.	हिमाचल प्रदेश	5696
12.	झारखंड	28743
13.	कर्नाटक	148480
14.	केरल	167504
15.	मध्य प्रदेश	66583
16.	महाराष्ट्र	257894
17.	मेघालय	573
18.	ओडिशा	38414
19.	पुडुचेरी	4609
20.	पंजाब	23241
21.	राजस्थान	27988
22.	तमिलनाडु	237596
23.	तेलंगाना	92060
24.	त्रिपुरा	1422
25.	उत्तर प्रदेश	114293
26.	उत्तराखंड	10183
27.	पश्चिम बंगाल	165320
	कुल	1694183

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 456

सोमवार, 5 फरवरी 2018/ 16 माघ, 1939 (शक)

मजदूर संघ का 12 सूत्री चार्टर
456. श्री वाई. वी. सुब्बा रेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय मजदूर संघों द्वारा आशा, आंगनवाड़ी कामगारों, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों, चाय बागानों में काम करने वाले कर्मचारियों इत्यादि के वेतन, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि के संबंध में प्रस्तुत किए गए 12 सूत्री चार्टर का ब्यौरा क्या है;
(ख) उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
(ग) आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में आंगनवाड़ी कामगारों की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा आदि से संबंधित 12 सूत्री मांग-पत्र में केन्द्रीय मजदूर संघों (सीटीयू) ने सभी कामगारों के लिए सार्वभौम सामाजिक सुरक्षा छत्र, 15,000/- रुपये प्रतिमाह तक की न्यूनतम मजदूरी, समस्त कामकाजी जनसंख्या के लिए 3,000/- रुपये प्रतिमाह तक की वर्धित पेंशन आदि की मांग उठाई थी।

इस संबंध में सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं जैसे 19.01.2017 से न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी, संसद में मजदूरी संहिता पेश करना, बोनस की अर्हता सीमा में बढ़ोतरी, ठेका कामगारों की ईपीएफओ और ईएसआईसी में कवरेज द्वारा सामाजिक सुरक्षा, सभी ईपीएस पेंशनधारकों को स्थायी आधार पर 1000/-रुपये की न्यूनतम पेंशन, अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना(पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना(पीएमएसबीवाई) जैसी योजनाओं के माध्यम से असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा छत्र, असंगठित कामगारों को आधार द्वारा पंजीकृत विशिष्ट पहचान संख्या देने के लिए राष्ट्रीय मंच के सृजन हेतु परियोजना का अनुमोदन, बीड़ी, गैर-कोयला खान और सिने कामगारों के लिए परिशोधित एकीकृत आवास स्कीम, 2016 के अंतर्गत पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता को 40,000/- रुपये से बढ़ाकर 1,50,000/- रुपये करना, वजीफे के

ऑनलाइन आवेदन और संवितरण के लिए राष्ट्रीय ई-पोर्टल का कार्यान्वयन, डीबीटी के अंतर्गत लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद सहायता के ऑनलाइन अंतरण का कार्यान्वयन।

आंगनवाड़ी कामगार/सहायक अवैतनिक कामगार होते हैं। आंध्र प्रदेश* राज्य में, आंगनवाड़ी कामगारों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को 7,000/- रुपये प्रतिमाह की दर पर मानदेय का भुगतान किया जाता है तथा आंगनवाड़ी सहायकों (एडब्ल्यूएच) और मिनी एडब्ल्यूडब्ल्यू को 4,500/- रुपये प्रतिमाह की दर पर मानदेय का भुगतान किया जाता है। तेलंगाना** राज्य में, अप्रैल, 2017 से आंगनवाड़ी अध्यापकों को 10,500/- रुपये प्रतिमाह तथा एडब्ल्यूएच और मिनी एडब्ल्यूडब्ल्यू को 6,000/- रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच की सेवा जारी रखने के लिए ऊपरी आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित की है तथा 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद एडब्ल्यूडब्ल्यू (मुख्य और मिनी) को 50,000/- रुपये तथा एडब्ल्यूएच को 20,000/- रुपये का प्रोत्साहन दिया जाता है।

स्रोत: * आंध्र प्रदेश सरकार।

**तेलंगाना सरकार की वेबसाइट।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 459

सोमवार, 5 फरवरी, 2018/16 माघ, 1939 (शक)

ईपीएफ के दायरे को बढ़ाना

459 श्रीमती रक्षाताई खाडसे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ईपीएफ योजना का लाभ देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विद्यमान श्रम कानूनों को चार संहिताओं के दायरे में लाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ तथा एमपी) अधिनियम, 1952 संगठित और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं करता। ईपीएफ तथा एमपी अधिनियम, 1952 इन पर लागू होते हैं:

(i) ऐसा प्रतिष्ठान जो अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में लगा कोई कारखाना हो तथा जिसमें 20 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों; तथा

(ii) ऐसा कोई अन्य प्रतिष्ठान जिसमें 20 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों अथवा प्रतिष्ठानों का ऐसा वर्ग जो केन्द्र सरकार द्वारा इस निमित्त आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर विनिर्दिष्ट किया जाए।

(ग) और (घ): श्रम संबंधी द्वितीय राष्ट्रीय आयोग ने यह सिफारिश की है कि कार्यकारी आधार पर मौजूदा श्रम कानूनों को मोटे तौर पर चार या पांच श्रम संहिताओं में रखा जाए। तद्नुसार, इस मंत्रालय ने मौजूदा श्रम कानूनों के संगत उपबंधों का सरलीकरण, मिश्रण तथा तर्कसंगत करके वेतन; औद्योगिक संबंध; सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण; तथा व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदशाओं पर चार श्रम संहिताओं का प्रारूपण करने हेतु कदम उठाए हैं। इनमें से, वेतन संबंधी श्रम संहिता 10.08.2017 को लोक सभा में लाई गई है तथा इसके उपरांत इसे श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समीति को भेज दिया गया है। बाकी संहिताएं पूर्व-विधायी परामर्शी चरण में हैं।

*****

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 870

(दिनांक 07.02.2018 को उत्तर के लिए)

सरकारी विभागों में कार्य का बहिःस्रोतन

870. **श्री गणेश सिंहः**

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सही है कि प्रशासनिक तत्कालिकता, कार्य दक्षता और अपरिहार्य परिस्थितियों के मद्देनजर सरकारी विभागों में अनुबंध आधार पर कार्य के बहिःस्रोतन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इस संबंध में दिए गए रोजगार का सरकारी विभागों में कोई केंद्रीकृत ब्यौरा नहीं रखा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो डिजिटलीकरण के इस युग में ब्यौरा नहीं रखे जाने के क्या कारण हैं और सरकारी विभागों में बहिःस्रोतन नीति अपनाने के संबंध में तर्कसंगतता सहित दिशा-निर्देशों का तिथि-वार/सक्षम प्राधिकारी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान अनुबंध/बहिःस्रोतन आधार पर दिए गए कार्यों का विभाग-वार ब्यौरा क्या है और रिक्त पड़े पदों और बैकलॉग रिक्तियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का अनुबंध/बहिःस्रोतन में बिचौलिए की भूमिका को समाप्त करने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का व्यक्तियों को लंबी अवधि तक अनुबंध/बहिःस्रोतन आधार पर कार्य पर रखने की बजाय उन्हें स्थायी रोजगार प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ड.) : कोई मंत्रालय अथवा विभाग मितव्ययिता और दक्षता के लिए कुछ गैर-परामर्शी सेवाएं प्राप्त कर सकता है और "सामान्य वित्त नियमावली, 2017" (जीएफआर 2017) के नियम 199 से 206 तक में प्रावधान किए गए मूलभूत दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए बिना इस प्रयोजनार्थ विस्तृत अनुदेश और प्रक्रियाएं निर्धारित कर सकता है। चूंकि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग आवर्तक अथवा अल्पावधि जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने-अपने स्तर पर सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम हैं, इसीलिए इस संबंध में केंद्रीयकृत आंकड़े नहीं नहीं रखे जाते हैं।

जीएफआर, 2017 के अध्याय 6 में ई-प्राप्ति और "परामर्शी एवं अन्य सेवाएं प्राप्त करने हेतु नियम-पुस्तिका, 2017" सहित ऐसी गैर-परामर्शी सेवाएं प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। कार्य की प्रकृति, अपेक्षित दक्षता इत्यादि की प्रकृति के आधार पर मंत्रालय संबंधित विधि के संबंध में निर्णय करने के लिए सक्षम होते हैं। किसी भी विचलन अथवा उल्लंघन को मंत्रालय द्वारा उपयुक्त रूप से निपटाया जा सकता है। अनुबंध/ बहिःस्रोतन में नियोजित व्यक्तियों की मजदूरी संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियत/अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं हो सकती है।

सरकारी पदों को भर्ती नियमों के अनुसार नियमित रूप से भरा जाता है। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग सभी प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात रिक्त पदों के लिए नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए जिम्मेदार होता है। रिक्तियों और बैकलॉग रिक्तियों से संबंधित केंद्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1410

सोमवार, 5 मार्च, 2018/14 फाल्गुन, 1939 (शक)

स्टॉक मार्केट में ईपीएफओ की निधियां

1410. श्री विजय कुमार हांसदाक:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भविष्य निधि राशि का स्टॉक मार्केट अथवा कोई अन्य निवेश योजना में निवेश करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय संगठनों ने इस संबंध में चिंता व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के द्वारा निवेश सरकार द्वारा अधिसूचित निवेश के स्वरूप के अनुसार किए जाते हैं।

वर्तमान में केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के निर्देश के अनुसार ईपीएफओ राशि का 15 प्रतिशत एक्चेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ्स) में निवेश किया जा रहा है तथा निवेश के स्वरूप के अनुसार शेष 85 प्रतिशत अन्य सिक्योरिटी तथा ऋण लिखतों में किया जा रहा है।

(ग) और (घ): निवेश का स्वरूप सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार है। सामान्यत: इस संदर्भ में कोई चिंता नहीं जताई गई है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1412

सोमवार, 5 मार्च, 2018/14 फाल्गुन, 1939 (शक)

ईपीएस 95 योजना

1412. श्री शिशिर कुमार अधिकारी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रतिमाह करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का इसमें प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन निर्धारित करने से पहले अंतरिम राहत प्रदान करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 एक स्व-वित्तपोषी योजना है जिसमें नियोक्ता द्वारा मजदूरी का 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 15000/-रुपये प्रतिमाह की वेतन सीमा तक सरकार ईपीएस,1995 से मजदूरी का 1.16 प्रतिशत अंशदान करती है। व्यापक मांग के दृष्टिगत बजटीय सहायता प्रदान करने के द्वारा 01.09.2014 से ईपीएस, 1995 के अंतर्गत सरकार ने न्यूनतम पेंशन 1000/-रुपये प्रतिमाह भी तय कर दिया है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1426

सोमवार, 5 मार्च 2018/14 फाल्गुन, 1939 (शक)

ईपीएफओ और ईएसआईसी में नामांकन

1426. श्री नलीन कुमार कटील:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में नामांकित कर्मचारियों की संख्या में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा नामांकित कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने उन्हें उनके अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ संबंधी गारंटी प्रदान करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के संबंध में सरकार को विभिन्न पक्षों से कोई शिकायतें/सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): जी,हां। पिछले तीन वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में कुल सदस्य (खातों) का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध क, ख और ग में है। पिछले तीन वर्ष के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में नामांकित कर्मचारियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-घ में है।

(ग): ईपीएफओ और ईएसआईसी में नामांकित कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में समाहित सभी लाभ प्रदान किए जाते हैं। ईपीएफओ के सदस्यों को प्रदान किए जाने वाले लाभों में भविष्य निधि, पेंशन और निक्षेप-सहबद्ध बीमा शामिल हैं। इसी प्रकार, ईएसआईसी के सदस्यों को बीमारी, प्रसूति और अपंगता के दौरान ईएसआई स्कीम के अंतर्गत चिकित्सा और नकद लाभ के रूप में स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा, संगठित(औपचारिक) क्षेत्र में नियोजित कामगारों को निम्नलिखित अधिनियमों के माध्यम से भी लाभ प्रदान किए जाते हैं:-

i. कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923
ii. उपदान संदाय अधिनियम, 1972
iii. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

(घ) और (ङ): कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए शिकायतें/सुझाव समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों/हितधारकों से प्राप्त होते हैं। इन शिकायतों के निवारण के लिए ईपीएफओ और ईएसआईसी में अंत:निर्मित तंत्र है। सामाजिक सुरक्षा स्कीमों में सुधार करने हेतु इस प्रकार प्राप्त सुझावों पर भी विचार किया जाता है।

* ********

अनुबंध-क

ईपीएफओ और ईएसआईसी में नामांकन के संबंध में श्री नलिन कुमार कटील द्वारा दिनांक 05.03.2018 को पूछे जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1426 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

31.03.2015 की स्थिति के अनुसार ईपीएफओ के अंतर्गत प्रतिष्ठान और सदस्यों का संकेन्द्रण(राज्य-वार)		
क्रम सं.	**राज्य**	**सदस्य(खाते)**
1	महाराष्ट्र	31378999
2	तमिलनाडु	19632669
3	कर्नाटक	18327669
4	दिल्ली	12657453
5	गुजरात	12413799
6	आंध्र प्रदेश	11908742
7	हरियाणा	11271232
8	पश्चिम बंगाल	7223536
9	उत्तर प्रदेश	6670480
10	पंजाब	5444048
11	राजस्थान	3991537
12	मध्य प्रदेश	3569593
13	केरल	2593429
14	ओडिशा	2498805
15	उत्तराखंड	2030261
16	झारखंड	1700315
17	छत्तीसगढ़	1232584
18	गोवा	1120273
19	हिमाचल प्रदेश	1103163
20	बिहार	947552
21	पूर्वोत्तर क्षेत्र	754298
कुल		**158470437**

अनुबंध-ख

ईपीएफओ और ईएसआईसी में नामांकन के संबंध में श्री नलिन कुमार कटील द्वारा दिनांक 05.03.2018 को पूछे जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1426 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

31.03.2016 की स्थिति के अनुसार ईपीएफओ के अंतर्गत प्रतिष्ठान और सदस्यों का संकेन्द्रण(राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार)

क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र**	**सदस्य (खाते)**
1	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	30,528
2	आंध्र प्रदेश	3,263,263
3	अरुणाचल प्रदेश	23,056
4	असम	589,558
5	बिहार	1,038,753
6	चंडीगढ़	788,608
7	छत्तीसगढ	1,330,494
8	दादरा और नागर हवेली	38,270
9	दमन और दीव	454,785
10	दिल्ली	13,972,550
11	गोवा	1,189,486
12	गुजरात	12,927,251
13	हरयाणा	12,391,650
14	हिमाचल प्रदेश	1,165,652
15	झारखंड	1,811,688
16	कर्नाटक	20,161,034
17	केरल	2,636,043
18	लक्षद्वीप	78
19	मध्य प्रदेश	3,838,608
20	महाराष्ट्र	34,127,787
21	मणिपुर	23,323
22	मेघालय	81,868
23	मिजोरम	6,928
24	नागालैंड	14,733
25	ओडिशा	2,629,589
26	पुडुचेरी	433,661
27	पंजाब	4,847,089
28	राजस्थान	4,273,456
29	सिक्किम	50,033
30	तमिल नाडू	20,578,908
31	तेलंगाना	9,393,447
32	त्रिपुरा	78,250
33	उत्तर प्रदेश	7,242,952
34	उत्तराखंड	2,274,176
35	पश्चिम बंगाल	7,706,426
	कुल योग	**171,413,981**

अनुबंध ग

ईपीएफओ और ईएसआईसी में नामांकन के संबंध में श्री नलिन कुमार कटील द्वारा दिनांक 05.03.2018 को पूछे जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1426 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

ईपीएफओ के अंतर्गत प्रतिष्ठानों और सदस्यों का संकेन्द्रण(राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार) (31-03-2017)		
क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार**	**सदस्य(खाते)**
1	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	34,933
2	आंध्र प्रदेश	3,755,279
3	अरुणाचल प्रदेश, मनीपुर, मिज़ोरम, नागलंद, सिक्किम, त्रिपुरा और मेघालय सहित असम	945,193
4	बिहार	1,235,709
5	चंडीगढ़	3,160,330
6	छत्तीसगढ	1,547,123
7	दिल्ली	15,546,706
8	गोवा	1,316,705
9	दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव सहित गुजरात।	15,260,059
10	हरियाणा	14,041,586
11	हिमाचल प्रदेश	1,362,504
12	झारखंड	1,997,937
13	कर्नाटक	22,497,385
14	लक्षद्वीप सहित केरल	2,973,688
15	मध्य प्रदेश	4,403,751
16	महाराष्ट्र	38,417,086
17	ओडिशा	2,925,452
18	पंजाब	3,051,343
19	राजस्थान	4,923,490
20	पुदुचेरी सहित तमिलनाडू	23,653,089
21	तेलंगाना	10,692,231
22	उत्तर प्रदेश	8,349,214
23	उत्तराखंड	2,714,784
24	पश्चिम बंगाल	8,586,283
	कुल	**193,391,860**

अनुबंध-घ

ईपीएफओ और ईएसआईसी में नामांकन के संबंध में श्री नलिन कुमार कटील द्वारा दिनांक 05.03.2018 को पूछे जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1426 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

ईएसआईसी के अंतर्गत व्याप्ति				
क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम**	**कर्मचारियों की संख्या (2014-15)**	**कर्मचारियों की संख्या (2015-16)**	**कर्मचारियों की संख्या (2016-17)**
1	**आंध्र प्रदेश**			
	विजयवाड़ा	1061890	272640	440440
	तिरुपति	249640	114660	198560
	विशाखापत्तनम	174540	188070	312360
2	**तेलंगाना**	0*	1024020	1522130
3	**असम, मेघालय और त्रिपुरा**	128200	137670	190560
4	**सिक्किम**	0*	11080	15350
5	**बिहार**	113900	127790	188780
6	**चण्डीगढ़**	91490	95140	217860
7	**छत्तीसगढ़**	232710	238290	389150
8	**दिल्ली**			
	राजेन्द्र प्लेस	415930	467240	813760
	रोहिणी	158490	163510	223260
	ओखला	464610	500580	758710
9	**गोवा**	137470	144430	262650
10	**गुजरात, दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव**			
	अहमदाबाद	421260	466090	652420
	वडोदरा	180460	191630	246490
	सूरत	239880	250960	449730
11	**हरियाणा**			
	फरीदाबाद	483000	503860	659220
	गुरुग्राम	685510	759630	1850600
	अम्बाला	134560	141230	192310
12	**हिमाचल प्रदेश**	199260	205420	255660
13	**जम्मू और कश्मीर**	75770	82390	233520
14	**झारखण्ड**	218010	228170	295030
15	**कर्नाटक**			
	बैंगलोर	653110	699000	967160

	हुबली	178710	197670	271560
	पीन्या	369010	382060	501980
	बोमनसांद्रा	498640	541840	776520
	गुरबर्गा	43930	45440	139480
	मैसूर	116090	128330	184090
	मंगलौर	94400	100960	168330
16	**केरव और लक्षद्वीप**			
	तृश्शूर	93550	97320	134530
	एर्णाकुलम	270800	288030	372480
	कोल्लम	136890	109960	112360
	कोषिकोड़	100130	102540	136170
	तिरुवनंतपुरम	111540	107290	113360
17	**मध्य प्रदेश**	448190	481530	718720
18	**महाराष्ट्र**			
	लोवर परेल	367070	385350	675890
	मरोल	486190	497000	939770
	थाणे	368680	371430	612390
	नागपुर	146680	145670	276950
	औरंगाबाद	126200	129670	219430
	पुणे	476660	499390	1152790
	नासिक	81010	80550	148490
19	**ओड़िशा**	340050	365910	510880
20	**पुदुचेरी तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह**	87890	90350	105460
21	**पंजाब**			
	क्षेत्रीय कार्यालय पंजाब	252640	259620	437120
	जालंधर	175810	180160	221450
	लुधियाना	286460	280420	368230
22	**राजस्थान**			
	जयपुर	442950	487910	841430
	उदयपुर	126990	128940	186320
	जोधपुर	84820	84780	127330
23	**तमिलनाडु**			
	चेन्नई	1284160	1335310	2034510
	तिरुनवेल्ली	139190	140170	183860
	सेलम	237340	254890	324950
	कोयम्बत्तूर	539760	563080	679250

	मदुरै	295170	302310	381550
24	**उत्तर प्रदेश**			
	कानपुर	244670	255830	362860
	वाराणसी	39050	41910	64940
	नोएडा	656590	678880	1010790
	लखनऊ	219430	194480	288930
25	**उत्तराखण्ड**	313570	351040	527880
26	**पश्चिम बंगाल**			
	बैरकपुर	201640	215000	294670
	कोलकाता	841460	880560	1220200
	दुर्गापुर	111270	124170	157450
	समस्त भारत	**17954970**	**18921250**	**29321060**

* 1. वर्ष 2015-16 में क्षेत्रीय कार्यालय, तेलंगाना का विभाजन क्षेत्रीय कार्यालय, आंध्र प्रदेश से किया गया था।

2. वर्ष 2015-2016 में सिक्किम का विभाजन असम क्षेत्र से किया गया था।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1451

सोमवार, 5 मार्च 2018/14 फाल्गुन, 1939 (शक)

अदावाकृत कर्मचारी भविष्य निधि खाते

1451. श्री टी. जी. वेंकटेश बाबू:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक ई.पी.एफ. खाते के अंतर्गत अदावाकृत कुल राशि कितनी है तथा इसकी प्रस्तावित उपयोगिता क्या है;

(ख) क्या कर्मचारियों द्वारा एक संगठन से दूसरे संगठन में रोजगार लेने की स्थिति में भविष्य निधि खाते की सुवाहयता को क्रियान्वित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपर्युक्त प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 में अदावाकृत राशि परिभाषित नहीं है। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, निष्क्रिय खातों में 1094.09 करोड़ रुपये हैं।

(ख) से (घ): ईपीएफओ ने सभी पूर्ववर्ती खातों की सुवाहयता (पोर्टेबिलिटी) तथा समेकन हेतु निम्नलिखित विकल्पों के साथ अपने सदस्यों को सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) आबंटित की है:-

- भविष्य निधि (पीएफ) सदस्य जिनका यूएएन तथा आधार संख्या वर्तमान नियोक्ता द्वारा यूएएन में उपलब्ध विद्यमान विवरण में प्रविष्ट एवं मिलान किया जाता है तथा जिनका यूएएन सक्रिय है तथा मोबाइल नम्बर उपलब्ध है, पूर्ववर्ती भविष्य निधि खाते से वर्तमान भविष्य निधि खाते में उनकी भविष्य निधि जमा राशि का स्वत:अंतरण प्रारम्भ किया जाएगा (दिसम्बर, 2017 से)।
- सदस्य अपने यूएएन लॉगिन के माध्यम से अपने पूर्ववर्ती भविष्य निधि खाते में जमा भविष्य निधि राशि को अपने वर्तमान खाते में अंतरित करने के लिए ऑनलाइन ढंग से भी आवेदन कर सकते हैं (जून, 2017 से)।
- सदस्य भौतिक रूप से दावा फार्म संख्या 13 के माध्यम से भी अंतरण हेतु आवेदन कर सकते हैं।

इस तरह से, पीएफ खाता सुवाहयता (पोर्टेबिलिटी) को कार्यान्वित किया गया है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1544

सोमवार, 5 मार्च, 2018/14 फाल्गुन, 1939 (शक)

श्रम नीति

1544. श्री विनोद लखमाशी चावड़ा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2015-2016 के लिए कोई श्रम नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में भविष्य निधि का लाभ प्राप्त करने वाले श्रमिकों की गुजरात सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1553

सोमवार, 5 मार्च, 2018/14 फाल्गुन, 1939 (शक)

औपचारिक क्षेत्र में वेतन भुगतान रजिस्टर

1553. डॉ. गोकाराजू गंगा राजू:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का पता लगाने के लिए ईपीएफओ, ईएसआईसी, एनपीएस और जीपीएफ के माध्यम से औपचारिक क्षेत्र की वेतन भुगतान संख्या का संग्रहण करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस प्रकार संग्रहित की गई वेतन भुगतान संख्या एनएसएसओ के अनुमान से काफी कम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की पृथक रूप से संख्या कितनी है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*****

अनुबंध

औपचारिक क्षेत्र में वेतन भुगतान रजिस्टर के संबंध में डॉ. गोकाराजू गंगा राजू द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1553 दिनांक 05.03.2018 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अप्रैल-2017 से जनवरी - 2018 की अवधि के लिए अंशदान करने वाले औसत सदस्य	
राज्य/संघ शासित राज्य क्षेत्र	**अंशदान करने वाले सदस्यों की औसत संख्या (लाख में)**
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.15
आंध्र प्रदेश	11.52
असम	3.07
बिहार	3.83
चंडीगढ़	4.03
छत्तीसगढ़	4.39
दिल्ली	27.55
गोवा	1.93
गुजरात	30.22
हरियाणा	22.80
हिमाचल प्रदेश	3.28
झारखंड	5.06
कर्नाटक	52.95
केरल	11.88
मध्य प्रदेश	10.88
महाराष्ट्र	89.77
मेघालय	0.39
ओडिशा	9.01
पांडिचेरी	1.16
पंजाब	7.26
राजस्थान	10.74
तमिल नाडू	52.03
तेलंगाना	27.99
त्रिपुरा	0.40
उत्तर प्रदेश	21.05
उत्तराखंड	5.50
पश्चिम बंगाल	29.45
कुल योग	**448.29**

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1556

सोमवार, 5 मार्च, 2018/14 फाल्गुन, 1939 (शक)

ईपीएफ पेंशन योजना

1556. श्री आर.पी. मरुदराजा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत मौजूदा पेंशन योजना गैर-संवहनीय है और इसमें 74,000 करोड़ रुपये की भारी कमी दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने योजना को संवहनीय बनाने हेतु विश्व बैंक से सहायता/विशेषज्ञता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): जी, नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि को असंवहनीय बताने वाली ऐसी कोई रिपोर्ट रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1567

सोमवार, 5 मार्च 2018/14 फाल्गुन, 1939 (शक)

ईएसआई योजना के अंतर्गत निर्माण मजदूर

1567. श्री राजेश कुमार दिवाकर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्माण कंपनियां निर्माण क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों की आय से ईएसआई और पीएफ काट रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निर्माण क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को ईएसआई अस्पतालों की सुविधा उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अस्पतालों से कार्यस्थल की दूरी कितनी है;

(ग) क्या सरकार मजदूरों के वेतन से ईएसआई अंशदान काटने की बजाय उन्हें निकटवर्ती निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा प्रदान कर रही है/प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी निर्माण कंपनी में नियमित रूप से काम नहीं करने वाले मजदूर, जो कुछ अवधि के अंतराल के पश्चात किसी अन्य निर्माण कंपनी में कार्य करना आरंभ करता है, क्या ऐसे मजदूर को ईएसआई और पीएफ सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): जी, हां। यह सूचित किया जाता है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 1 (3) (क) के अनुसार यह अधिनियम अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट उद्योग में संलग्न 20 अथवा उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान पर लागू होता है। भवन एवं निर्माण प्रतिष्ठानों को भारत सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1069 दिनांक 11 अक्टूबर, 1980 के माध्यम से अनुसूची-I में शामिल किया गया है जो 31 अक्टूबर, 1980 से प्रवृत्त हुई।

धारा 6 के अनुसार, शामिल प्रतिष्ठान के प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में भविष्य निधि में अंशदान नियोक्ता द्वारा किया जाएगा। अंशदान मूल वेतन मंहगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो, का 12% होगा। कर्मचारी का अशंदान उसके संबंध में देय नियोक्ता के अंशदान के बराबर होगा।

ईएसआई की कटौती के संबंध में ईएसआईक्रियान्वित क्षेत्रों में स्थितनिर्माण कंपनियांजिन्होंने अपने आप को ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया है, वे अधिनियम के अंतर्गत अपने कामगारों के वेतनसे ईएसआई अंशदान की कटौती कर रहे है। तथापि, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश,

तमिलनाडु और तेलंगाना की 20 से अधिक कंपनियों का कवरेज के संबंध में विवाद है और उन्होंने न्यायालय का रुख किया है। यह मामला न्यायाधीन है।निर्माण कंपनियों से प्राप्त अंशदान का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	01.03.2018 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत निर्माणकंपनियों की कुल संख्या	अंशदान 2016-17	अंशदान 2017-18 (12/2017 तक)
1.	27009	239.95 करोड़	263.17 करोड़

(ख): मानकों के अनुसार, केवल ईएसआई स्कीम के अंतर्गत शामिल निर्माण क्षेत्र में कार्यरत कामगार ही ईएसआई अस्पतालों/औषधालयों अथवा ईएसआई स्कीम के निजी टाई-अप अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा लाभ प्राप्त करने की सुविधा के पात्र हैं।

(ग): ईएसआई अधिनियम, 1948 के अंतर्गत ईएसआई स्कीम के बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा लाभ उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ): जी हां। पैरा 26 (1) (क) के अनुसार, वह प्रत्येक कर्मचारी निधि का सदस्य बनने का पात्र होगा और उसे उसका सदस्य बनना अपेक्षित होगा जो असम्मिलित कर्मचारियों को छोड़कर, उन प्रतिष्ठानों में नियोजित हों अथवा उस प्रतिष्ठान के कार्य से संबंधित कार्य में नियोजित हों जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 लागू होती हो।

जहां तक ईपीएफ के अंतर्गत सदस्यता के बनाए रखने का संबंध है, कर्मचारी भविष्य निधि, 1952 के पैरा 26क के अनुसार निधि का कोई सदस्य तब तक सदस्य बना रहेगा जब तक कि वह पैरा 69 के अंतर्गत अपने भविष्य निधि खाते में बकाया पड़ी अपनी जमा राशि आहरित नहीं कर लेता है। तदनुसार, वह ईपीएफ के लाभ प्राप्त करता रहेगा।

जहां तक ईएसआईसी का संबंध है, ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत व्याप्त कामगार को पहले पंजीकरण के समय एक आईपी संख्या आबंटित की जाती है। आईपी संख्या रोजगार के परिवर्तन की स्थिति में भी वही बनी रहती है तथा लाभों का निर्धारण उन दिनों की संख्या के आधार पर किया जाता है जिनके लिए कर्मचारी का अंशदान प्राप्त होता है। बीमारी लाभ का हकदार कर्मचारी लाभ की अवधि की समाप्ति तक लाभ प्राप्त करता रहेगा।

यदि कर्मचारी के संबंध में अप्रैल से सितम्बर के दौरान अंशदान प्राप्त होता है, तो वह अगले वर्ष 30 जून तक लाभ प्राप्त करने का हकदार बना रहेगा। इसी प्रकार, यदि अंशदान अक्तूबर से मार्च तक की अंशदान अवधि के दौरान प्राप्त होता है, तो बीमाकृत व्यक्ति उस वर्ष दिसम्बर तक लाभ का हकदार बना रहेगा।

***

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1570

सोमवार, 5 मार्च, 2018/14 फाल्गुन, 1939 (शक)

न्यूनतम पेंशन

1570. श्री गणेश सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत पेंशनधारियों को 1000/- रुपए प्रति माह न्यूनतम पेंशन सहित श्रम शक्ति की बेहतरी हेतु श्रम कल्याण उपाय आरंभ किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत सहित विभिन्न प्रकार के अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मध्य प्रदेश सहित राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और मजदूरी विभिन्नता के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन किया है/करने का विचार है और देशभर के लिए एक समान मजदूरी नीति बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): जी हां। सरकार ने दिनांक 19 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 593 (अ.) द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत पेंशनधारियों को 01.09.2014 से 1000/- रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन अधिसूचित की है।

(ग) से (ङ): जी हां। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मध्यप्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधो के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारें अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कामगारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने, समीक्षा करने तथा संशोधित करने हेतु समुचित सरकारें हैं।

राज्य सरकारों से यथा प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित न्यूनतम मजदूरी की दरों की रेंज को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध में है।

फिलहाल, 10.08.2017 को लोकसभा में पुर:स्थापित "मजदूरी विधेयक संहिता, 2017" में अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का उपबंध है, जो विभिन्न राज्यों अथवा भौगोलिक क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न हो सकती है। समुचित सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरें 'राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी' से कम नही होगीं।

* ******

अनुबंध

न्यूनतम पेंशन के संबंध में श्री गणेश सिंह, माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 5.3.2018 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1570 के भाग (ग) से (ङ) उत्तर में संदर्भित विवरण

दिनांक 1.11.2017 की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों में दैनिक न्यूनतम मजदूरी में श्रेणीवार परिवर्तन (अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	श्रेणियां							
		अकुशल		अर्ध-कुशल		कुशल		अतिकुशल	
		न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
	केंद्रीय क्षेत्र	308.00	536.00	315.00	593.00	342.00	653.00	373.00	653.00
1	आंध्र प्रदेश	69.27	-	-	-	-	-	-	895.83
2	अरुणाचल प्रदेश	150.00	170.00	160.00	180.00	170.00	190.00	-	-
3	असम	240.00	-	280.00	-	350.00	-	450.00	-
4	बिहार	181.00	197.00	188.00	206.00	232.00	251.00	282.00	308.00
5	छत्तीसगढ़	234.00	325.00	249.95	350.00	242.79	380.00	338.00	410.00
6	गोवा	307.00	465.00	321.00	465.00	386.00	465.00	418.00	465.00
7	गुजरात	178.00	276.00	276.00	284.00	284.00	293.00	-	-
8	हरियाणा	318.46	-	334.39	351.11	368.66	387.10	406.45	-
9	हिमाचल प्रदेश	184.87	210.00	199.12	227.00	228.37	254.17	242.40	314.50
10	जम्मू और कश्मीर	225.00	-	350.00	-	400.00	-	-	-
11	झारखंड	221.61	237.44	232.16	253.27	306.03	327.14	353.52	369.90
12	कर्नाटक	231.92	569.44	272.13	476.83	277.76	592.13	282.41	554.44
13	केरल	287	510	289.70	498.00	278.60	533	284.60	556.00
14	मध्य प्रदेश	200.00	274.00	266.00	360.00	312.00	408.00	355.00	410.00
15	महाराष्ट्र	180.00	315.49	-	-	-	-	-	-
16	मेघालय	189.00	-	201.00	-	212.00	-	235.00	-
17	मणिपुर	122.10	122.10	129.97	129.97	132.60	132.60	-	-
18	मिजोरम	270.00	-	300.00	-	370.00	-	460.00	-
19	नागालैंड	115.00	-	125.00	-	135.00	-	145.00	-
20	ओडिशा	200.00	-	220.00	-	240.00	-	260.00	-
21	पंजाब	275.08	305.83	323.62	-	358.12	-	397.82	-
22	राजस्थान	207.00	-	217.00	-	227.00	-	277.00	-
23	सिक्किम	220.00	-	242.00	-	275.00	-	319.00	-
24	तमिलनाडु	182.73	-	-	-	-	-	-	505.10
25	त्रिपुरा	179.96	359.00	197.42	389.00	220.76	419.00	325.00	630.84
26	उत्तराखंड	200.00	272.12	231.54	291.54	235.31	310.96	249.23	356.35
27	उत्तर प्रदेश	161.00	211.67	233.33	300.71	261.33	354.67	299.17	418.83
28	पश्चिम बंगाल	211.00	278.00	232.00	306.00	255.00	337.00	370.00	-
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	297.00	327.00	309.00	345.00	322.00	396.00	343.00	407.00
30	चंडीगढ़	350.00	-	356.00	359.00	367.00	376.00	391.00	-
31	दादरा एवं नागर हवेली	277.70	-	285.70	-	293.70	-	-	-
32	दमन और दीव	287.50	-	295.50	-	303.50	-	-	-
33	दिल्ली	522.00	-	575.00	-	633.00	-	-	-
34	लक्षद्वीप	267.20	-	292.20	-	317.20	-	342.20	-
35	पुडुचेरी	55.00	255.00	-	-	-	-	-	-
36	तेलंगाना	69.27	-	-	-	-	-	-	380.48

*असम तथा पश्चिम बंगाल के अकुशल कामगारों की दरों में चाय बगीचा कामगार शामिल नहीं हैं।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1579

सोमवार, 5 मार्च, 2018/14 फाल्गुन, 1939 (शक)

ऑनलाइन ईपीएफ विवरणी

1579. श्री के. अशोक कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने त्रुटिकर्ता 700 भविष्य निधि न्यासों, जिन्होंने ऑनलाइन विवरणी दायर नहीं की है के, विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अपने अधिकारियों को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने सभी कार्यालयों जिनमें विवरणी जमा की जाती है को यह सुनिश्चित करने के लिए कि छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों द्वारा ऑनलाइन विवरणी दायर की जाए और चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कानून के अनुसार छूट रद्द करने सहित उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए भी निर्देश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी अनुपालन की स्थिति क्या है और इस संबंध में सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को चूककर्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ विधि के अंतर्गत यथानिर्धारित कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

(ग) और (घ): केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने दिनांक 29.09.2017 के परिपत्र के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालयों को छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के द्वारा ऑनलाइन विवरणियां दायर करना सुनिश्चित करने का निदेश दिया है। 26.02.2018 को ऑनलाइन अनुपालना स्थिति के अनुसार सम्मिलित प्रयासों के कारण ऑनलाइन मासिक विवरणियां दायर ना करने वाले छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों की संख्या घट कर 273 हो गई। सीपीएफसी छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के द्वारा ऑनलाइन विवरणियां समय पर दायर करना सुनिश्चित करने हेतु वीडियो कॉनफेरेंसिंग, समीक्षा बैठकों तथा ईमेल के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों को निदेश देता आ रहा है

*****

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.2105

8 मार्च, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना

2105. श्री ए.टी. नाना पाटीलः
श्री देवजी एम. पटेलः
श्री एम. मुरली मोहनः
श्री सुनील कुमार सिंहः
श्री चंदू लाल साहूः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमपीआरपीवाई) की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत पंजीकृत वस्त्र क्षेत्र के कर्मचारियों की आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र सहित संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों के लिए कितनी निधि राज्य-वार आवंटित तथा वितरित की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि पैन नंबर को आधार के साथ लिंक करने में त्रुटि के कारण लाभार्थी अपने दावों को प्राप्त नहीं कर पाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री अजय टम्टा)

(क): पीएमपीआरपीवाई की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- पीएमपीआरपीवाई एक श्रम सुधार पहल है जिसके अंतर्गत सरकार परिधान एवं मेडअप्स क्षेत्रों में नए कर्मचारियों के लिए उनके रोजगार के पहले 3 वर्षों हेतु कर्मचारी भविष्य निधि योजना में नियोक्ताओं के समग्र 12% अंशदान को वहन कर रही है।
- वर्तमान में, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के अंतर्गत नियोक्ता का 8.33% अंशदान सरकार द्वारा पहले ही उपलब्ध कराया जा रहा है। पीएमपीआरपीवाई के अंतर्गत नियोक्ता का 3.67% अतिरिक्त अंशदान परिधान तथा मेड-अप्स सेगमेंट में 15,000 रुपए प्रतिमाह की मजदूरी वाले नए कामगारों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

(ख) और (ग): वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान पंजीकृत वस्त्र क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या का राज्य-वार विवरण तथा संवितरित निधियों का विवरण अनुबंध पर दिया गया है। पीएमपीआरपीवाई योजना के अंतर्गत 30 करोड़ रुपए की निधि आवंटित की गई है तथा दिनांक 27.02.2018 तक 16,23,05,091 रुपए की राशि वितरित की गई है।

(घ) और (ङ): आधार को पैन के साथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, कर्मचारियों को लाभ प्राप्त करने के लिए सत्यापित आधार प्रस्तुत करना होता है।

अनुबंध

राज्य	पंजीकृत कामगार		वितरित की गई राशि	
	09-08-2016 से **31-03-2017**	**01-04-2017** से **27-02-2018**	**09-08-2016** से **31-03-2017**	**01-04-2017** से **27-02-2018**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	1	4843	450	2395163
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	0	0	0	0
बिहार	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	999	0	1305914
छत्तीसगढ़	0	0	0	0
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0
दिल्ली	0	5675	0	4721637
गोवा	0	0	0	0
गुजरात	142	4043	34490	3199778
हरियाणा	2208	66151	60280	36814021
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
झारखंड	0	0	0	0
कर्नाटक	3017	76794	187537	46549785
केरल	1845	6612	899579	9258807
लक्षद्वीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	452	0	14745
महाराष्ट्र	20	2418	0	1166098
मणिपुर	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0
नगालैंड	0	0	0	0
ओडिशा	0	0	0	0
पुडुचेरी	0	0	0	0
पंजाब	384	2762	77956	1825436
राजस्थान	0	2485	0	549465
सिक्किम	0	0	0	0
तमिलनाडु	2136	61886	527702	37550606
तेलंगाना	0	0	0	0
त्रिपुरा	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	114	33071	0	14579418
उत्तराखंड	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	0	1545	0	586224
कुल	**9867**	**269736**	**1787994**	**160517097**

*****

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2477

(जिसका उत्तर 09 मार्च, 2018/18 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया जाना है)

सामाजिक सुरक्षा पेंशन

2477. श्री सतीश चंद्र दुबेः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में सरकार द्वारा आबंटित धनराशि मुद्रास्फीति की तुलना में कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का मुद्रास्फीति के अनुपात में पेंशन में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निम्न आय समूह और मध्य आय समूह के लोगों को जटिल नियमों के कारण सामाजिक सुरक्षा पेंशन की परिधि से बाहर कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का नियमों में संशोधन करके निम्न आय समूह और मध्य आय समूह के लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री शिव प्रताप शुक्ल)

(क) और (ख): श्रम एंव रोजगार मंत्रालय के अनुसार, संगठित क्षेत्रों में कामगारों के लिए भविष्य निधि, पेंशन निधि एवं जमा राशि सहबद्ध बीमा निधि का संस्थापन करने के लिए सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध (ईपीएफ एवं एमपी) अधिनियम, 1952 के अंतर्गत तीन योजनाएं बनाई हैं, जिनमें (क) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952; (ख) कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) योजना, 1995; और (ग) कर्मचारी जमाराशि - सहबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना, 1976 शामिल हैं।

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 नियोक्ता से वेतन का 8.33 प्रतिशत (पन्द्रह हजार रुपए तक) की दर पर अंशदान के साथ स्वत: वित्तपोषित योजना है। इसके अतिरिक्त, ईपीएस, 1995 में 15,000/- रुपए प्रति माह की वेतन सीमा तक के लिए सरकारी अंशदान वेतन का 1.16 प्रतिशत है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, सरकार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का कार्यान्वयन करती है, जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा/कल्याण कार्यक्रम है तथा इसे देश में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत निम्नलिखित तीन पेंशन योजनाओं (क) वृद्धावस्था पेंशन, (ख) विधवा पेंशन, (ग) दिव्यांगता पेंशन का संचालन किया जा रहा है।

इन तीन पेंशन योजनाओं के संबंध में लक्षियत लाभार्थियों को लाभार्थी की आयु एवं पेंशन की श्रेणी पर निर्भर करते हुए 200-500 रुपए के बीच मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। कल्याणकारी उपाय होने के कारण राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत पेंशन योजनाओं को मूल्य सूचकांक के साथ सहबद्ध नहीं किया गया है।

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण मई, 2015 से एक स्वैच्छिक, आवधिक अंशदान आधारित पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को कार्यान्वित करता है, जो 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी बचत बैंक/डाकघर बचत बैंक खाताधारकों के लिए खुली है। एपीवाई के अंतर्गत सरकार अभिदाता को 60 वर्ष की आयु के पश्चात् उसका/उसकी मृत्यु होने तक, उसके द्वारा चुने गए पेंशन प्लान पर निर्भर करते हुए 1,000 रुपए प्रति माह या 2,000 रुपए प्रति माह या 3,000 रुपए प्रति माह या 4,000 रुपए प्रति माह या 5,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्रदान करती है।

(ग) और (घ): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार वे सदस्य, जिनका मासिक वेतन 15,000/- रुपए तक है, उन्हें पहले ही ईपीएस, 1995 के अंतर्गत कवर किया गया है। दिनांक 01.09.2014 से इस सीमा को 6,500/- रुपए प्रति माह से संशोधित करके 15,000/- रुपए प्रति माह किया गया था।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2563

सोमवार, 12 मार्च, 2018/21 फाल्गुन, 1939 (शक)

पीएफ अंशदान की उच्च दर

2563. श्री पी. नागराजन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को अपनी 15 प्रतिशत भविष्य निधि की बजाए 25 प्रतिशत भविष्य निधि स्टॉक/निवेश करने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है और उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख): उपर्युक्त प्रश्न (क) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2597

सोमवार, 12 मार्च, 2018/21 फाल्गुन, 1939 (शक)

भविष्य-निधि ब्याज दर

2597. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज-दर और कम कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि पर कितनी ब्याज-दर उपलब्ध कराई जा रही है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर ब्याज की दर का निर्धारण केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, ब्याज की दर का निर्धारण करने में, केन्द्रीय सरकार आत्म-संतुष्टि करेगी कि सदस्यों के खातों में जमा किए गए ब्याज में से निकाली गई राशि के परिणामस्वरूप ब्याज खाते पर अध्याहरण न हुआ हो। वर्ष 2016-17 के लिए ब्याज की दर 8.65 प्रतिशत है। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि(ईपीएफ) ने वर्ष 2017-18 के लिए ईपीएफ अभिदाताओं के खातों में 8.55 प्रतिशत ब्याज-दर की राशि जमा किए जाने की सिफारिश की है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2709

सोमवार, 12 मार्च, 2018/21 फाल्गुन, 1939 (शक)

श्रमिकों को पीएफ और स्वास्थ्य संबंधी लाभ

2709. श्री सतीश चंद्र दुबे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गैर-सरकारी और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को भविष्य निधि (पीएफ) तथा स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(ईपीएफओ) में उन प्रतिष्ठानों के कामगारों के लिए भविष्य निधि, पेंशन तथा निक्षेप-सहबद्ध बीमे के रूप में सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान है जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 लागू है।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम निम्नलिखित पर लागू होता है:

(i) ऐसे प्रतिष्ठान पर जो अधिनियम की अनुसूची-I विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में कार्यबद्ध कारखाना हो तथा जिसमें 20 या इससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हों; तथा

(ii) 20 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले किसी अन्य प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठान वर्ग पर जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

अत:, ऊपर विनिर्दिष्ट संगठित/असंगठित क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों के संबंध में कोई अंतर किए बिना गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिक कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत व्याप्ति-योग्य हैं।

इसके अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा(ईएसआई) योजना 10 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कार्यान्वित क्षेत्र के कारखानों और प्रतिष्ठानों पर तथा 21,000/- रुपये प्रतिमाह तक मजदूरी अर्जित करने वाले कर्मचारियों पर लागू है।

यह सुनिश्चित करना भी सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि असंगठित कामगारों को संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा लाभों के समान ही सामाजिक सुरक्षा के लाभ मिलें। इस उद्देश्य से, सरकार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का कार्यान्वयन कर रही है। उक्त अधिनियम में जीवन एवं अपंगता छत्र, स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण से संबंधित मामलों में असंगठित कामगारों के लिए उपयुक्त कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण अनुबंधित है। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना; राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना; तथा स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

उपर्युक्त कल्याणकारी स्कीमों के अलावा, केन्द्रीय सरकार ने 18 से 50 वर्ष के आयु समूह के असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर जीवन एवं अपंगता कवरेज प्रदान करने के लिए हाल ही में, आम आदमी बीमा योजना(एएबीवाई) का विलय प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना(पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना(पीएमएसबीवाई) के साथ किया है। वार्षिक प्रीमियम केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 आधार पर साझा किया जाता है। विलय की गई ये योजनाएं 330/- रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की कवरेज प्रदान करती हैं तथा 12 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर दुर्घटना में होने वाली मृत्यु और अपंगता पर योजना के अनुसार अपंगता लाभ के अलावा 2 लाख रुपये की कवरेज प्रदान करती हैं। विलय की गई ये योजनाएं भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3738

सोमवार, 19 मार्च, 2018/28 फाल्गुन, 1939 (शक)

सामाजिक सुरक्षा नेट में संविदात्मक कामगार

3738. श्री सी. गोपालकृष्णन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संविदात्मक कामगारों को सामाजिक सुरक्षा नेट के अंतर्गत लाने, आंगनवाड़ी और आशा कामगारों इत्यादि के वेतनों में वृद्धि करने के बारे में ट्रेड यूनियनों से मांगें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या ट्रेड यूनियन ने कर्मचारी पेंशन योजना (ई.पी.एस) 1995 के अंतर्गत पेंशन में वृद्धि की भी मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): मजदूर संघों की मांगों पर विचार करना तथा सरकार द्वारा कामगारों के लिए उपलब्ध लाभों में और अधिक सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है।

दस या इससे अधिक कामगारों वाले प्रतिष्ठानों में कार्यरत ठेकागत कामगार कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम (1923), कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (1948), औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947), न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948), भविष्य निधि अधिनियम (1925), कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम (1952), प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम (1961), उपदान संदाय अधिनियम (1972) आदि के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ प्राप्त करते हैं।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करना सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि दस से कम कामगारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में कार्यरत ठेकागत कामगारों सहित असंगठित

कामगारों को संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए यथा उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा के लाभ मिलें। इस उद्देश्य के साथ, सरकार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का कार्यान्वयन कर रही है। 2008 के अधिनियम में जीवन एवं अपंगता छत्र, स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण से संबंधित मामलों पर असंगठित कामगारों के लिए उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बनाया जाना अनुबंधित है। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय); स्वास्थ्य एवं प्रसूति प्रसुविधा योजना (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे हैं। उपर्युक्त कल्याणकारी योजनाओं के अलावा, केन्द्रीय सरकार ने 18 से 50 वर्ष के आयु समूह के असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर जीवन एवं अपंगता कवरेज प्रदान करने के लिए हाल ही में, आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) का विलय प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना(पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के साथ किया है। विलय की गई योजनाएं 330/- रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की कवरेज प्रदान करती है तथा योजना के अनुसार अपंगता लाभ के अलावा 12 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर दुर्घटना में होने वाली मृत्यु पर 2 लाख रुपये की कवरेज प्रदान करती है। विलय की गई ये योजनाएं भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

आंगनवाड़ी कामगार (एडब्ल्यूडब्ल्यू): एकीकृत बाल विकास सेवाएं(आईसीडीएस) योजना में बाल देख-रेख और विकास के क्षेत्र में अंशकालिक आधार पर अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आने वाले स्थानीय समुदाय के "अवैतनिक कामगार" के रूप में आंगनवाड़ी कामगारों और आंगनवाड़ी सहायकों की परिकल्पना है। अवैतनिक कामगार होने के नाते, उन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्णीत मासिक मानदेय का भुगतान किया जाता है। प्रसूति पर सवेतन अनुपस्थिति, आंगनवाड़ी कार्यकात्री बीमा योजना के अंतर्गत बीमा छत्र, आंगनवाड़ी कामगारों के लिए पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों का 50% आरक्षण, आंगनवाड़ी सहायकों से आंगनवाड़ी कामगारों की 25% भर्ती आदि जैसी सुविधाओं का विस्तार करके उनकी कार्य की दशाओं में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं।

मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(एनएचएम) के अंतर्गत, राज्यों की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में उनके द्वारा रखी गई अपेक्षाओं के अनुसार मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं(एएसएचए) के लिए सहायता सहित राज्यों की स्वास्थ्य देखभाल प्रदाय प्रणालियों को सशक्त करने हेतु राज्यों के प्रयासों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। एनएचएम के अंतर्गत, आशा की परिकल्पना अवैतनिक स्वयंसेवियों के रूप में की जाती है तथा उन्हें केवल कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन ही मिलते हैं जो प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण से संबंधित नियत कार्यों से संबद्ध होते हैं। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में समाज और जन-स्वास्थ्य प्रणाली के बीच

की कड़ी के रूप में आशा द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, आशा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अंतिम रूप दिए गए प्रोत्साहनों की सरकार द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा उन गतिविधियों का समय-समय पर विस्तार किया जाता है जिनके लिए आशा को प्रोत्साहन मिलते हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों को आशा के लिए उनके अपने प्रोत्साहन तैयार करने का लचीलापन दिया गया है। आर्थिक प्रोत्साहनों के अलावा, कुछ राज्य आशा को कुछ गैर-आर्थिक प्रोत्साहन भी प्रदान करते हैं।

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत पेंशन: इस योजना के अधीन प्रावधानों को समय-समय पर परिशोधित किया जाता है। कामगार पक्ष की मांग पर विचार करते हुए, सरकार ने राजपत्र की अधिसूचना सं. 593(अ) दिनांक 19.08.2014 के माध्यम से सदस्य/विधवा (विधुर)/अपंग/नामिती/आश्रित माता-पिता पेंशनधारकों के लिए 1,000/- रुपये प्रतिमाह, अनाथ पेंशनधारकों के लिए 750/- रुपये प्रतिमाह तथा बाल पेंशनधारकों के लिए 250/- रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन का प्रावधान करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, सरकार ने योजना के अंतर्गत पेंशनयोग्य वेतन सीमा की अधिकतम सीमा को 01.09.2014 से 6500/- रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 15,000/- रुपये प्रतिमाह कर दिया।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3753

सोमवार, 19 मार्च, 2018/28 फाल्गुन, 1939 (शक)

ईपीएफओ विज़न 2030

3753. श्री के. परसुरमन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईपीएफओ का 2030 तक भविष्य निधि (भविष्य निधि), पेंशन, जीवन बीमा के तहत देश में समस्त कामगारों को कवर करने का उद्देश्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईपीएफओ का विजन 2030 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सम्मिलित करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 भविष्य निधि, पेंशन निधि और निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि के प्रतिष्ठापन का प्रावधान करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा विधान है और यह उन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो अनुसूची-I में सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों के वर्गों और उद्योगों से संबंधित हैं और जहां नियोक्ताओं की संख्या 20 अथवा उससे अधिक है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत तैयार की गई तीन योजनाओं में (क) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952; (ख) कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995; और (ग) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना, 1976 शामिल हैं। हालांकि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने देश के सभी कामगारों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और जीवन बीमा के रुप में अनिवार्य आधार पर सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा छत्र की परिकल्पना करते हुए वर्ष 2030 के लिए एक विजन दस्तावेज प्रस्तुत किया है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3768

सोमवार, 19 मार्च, 2018/28 फाल्गुन, 1939 (शक)

ई. पी. एफ. ओ. ब्याज दर

3768. श्री टी. जी. वेंकटेश बाबू:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदाताओं को क्या ब्याज दर प्रदान की गई है;

(ख) क्या ई.पी.एफ.ओ. के पास वर्ष 2017-18 के लिए ब्याज दर में वृद्धि/कमी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों को लाभ या हानि होने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान अंशदाताओं को भुगतान की गई ईपीएफ पर घोषित ब्याज दर का विवरण निम्नवत है:

वर्ष	**ब्याज की दर (प्रतिशत में)**	**तिथि जिस दिन ब्याज की दर घोषित की गई**
2014-15	8.75	23.01.2015
201516	8.80	23.05.2016
2016-17	8.65	24.04.2017

कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर केन्द्रीय बोर्ड के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने 21.02.2018 को आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 2017-18 के लिए ईपीएफ सदस्यों को 8.55 प्रतिशत की दर से ब्याज देने की सिफारिश की है। अब इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय को भेजा गया है ताकि वर्ष 2017-18 के लिए ईपीएफ अंशदाताओं को 8.55 प्रतिशत के ब्याज दर पर उनकी सहमति ली जा सके।

(घ): वर्ष 2017-18 के लिए घोषित ब्याज की सांविधिक दर राशि को खाता धारकों के लगभग 19,97,84,374 खातों में जमा किये जाने का अनुमान है।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3792

सोमवार, 19 मार्च, 2018/28 फाल्गुन, 1939 (शक)

स्टॉक बाजार में ईपीएफ निवेश

3792. श्री पी. आर. सेनथिलनाथन:

श्री के.एन. रामचन्द्रन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईपीएफ अंशदाताओं द्वारा जमा अधिकतर निधियां स्टॉक बाजार में ब्ल्यू चिप कंपनी शेयरों की खरीद हेतु निवेश की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कंपनियों की सूची क्या है, जिनमें अधिकांश ईपीएफ निधियों को निवेश किया है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के लिए ईपीएफ हेतु किसी ऋण के लिए वित्तपोषण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का दृष्टिकोण क्या है; और

(ङ) क्या सरकार की योजना देश में ईपीएफ अंशदाताओं को दिए जा रहे ईपीएफ लाभों को बढ़ाने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): सरकार द्वारा अधिसूचित निवेश के स्वरुप के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा निवेश किए जाते हैं। वर्तमान में, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अनुसार ईपीएफओ की संग्रह राशि का 15 प्रतिशत एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) में निवेश किया जा रहा है। ईपीएफओ अलग-अलग कंपनी शेयरों में निवेश नहीं करती है। ईटीएफ [निफ्टी 50, सेंसेक्स, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) और भारत 22 सूचकांक] में जनवरी, 2018 तक की स्थिति के अनुसार ईपीएफओ द्वारा निवेश की गई कुल राशि 39,816.25 करोड़ रुपये है।

(ग): जी, नहीं।

(घ): उपरोक्त प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर के सन्दर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

(ङ): जी नहीं। सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3814

सोमवार, 19 मार्च, 2018/28 फाल्गुन, 1939 (शक)

ईपीएफ अंशदान जमा

3814. श्री अरविंद सावंत:

श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक नियोक्ताओं और संगठनों द्वारा भविष्य निधि अंशदान को नियमित रूप से जमा नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कंपनियों द्वारा किस तिथि से अंशदान जमा नहीं किया जा रहा है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसे भविष्य निधि चूककर्ताओं के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अपने भविष्य निधि अंशदान जमा में चूक करने वाले सरकारी क्षेत्र उपक्रमों/निकायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र कंपनियों/निगमों सहित सभी संगठनों/नियोक्ताओं द्वारा भविष्य निधि संबंधी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान प्राप्त सफलता क्या है; और

(च) कर्मचारियों के हित संरक्षण हेतु सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए या प्रस्तावित कदम क्या हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल किए गए कुछ प्रतिष्ठानों द्वारा अंशदान को जमा न किए जाने के कुछ मामले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की जानकारी में आए हैं। ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए वास्तविक समय चूक प्रबंधन तंत्र की व्यवस्था की गई है। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष (फरवरी, 2018 तक) के लिए चूककर्ता प्रतिष्ठानों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-I पर है।

(ग) से (च): 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र (गैर-छूट प्राप्त) में कुल मांग का ब्यौरा दर्शानेवाला राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-II पर है। वर्ष 2016-17 के दौरान, बकाया मांग की तुलना में 2127.79 करोड़ रुपए की राशि की उगाही की गई है।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम ,1952 के अंतर्गत शामिल चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कामगारों के हितों का संरक्षण करने के उद्देश्य से ईपीएफओ द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:-

(i) अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध देयताओं का मूल्यांकन करने के लिए कार्रवाई ।

)ii(बकाया राशियों को विलंब से जमा करने के लिए जुर्माना लगाने के लिए अधिनियम की धारा 14ख के अंतर्गत कार्रवाई।

)iii(विलंब से प्रेषित किए गए धन पर ब्याज लगाने के लिए अधिनियम की धारा 7थ के अंतर्गत कार्रवाई।

)ii (अधिनियम की धारा 8ख से8 छ के अंतर्गत यथा उपबंधित वसूली की कार्रवाईयां।

)i (सक्षम न्यायालय के समक्ष चूककर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन दायर करने के लिए अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई।

)ii (कर्मचारियों की मजदूरी/वेतन से कटौती किए गए लेकिन निधि में जमा न किए गए कर्मचारियों के अंशदान के हिस्से की अदायगी न करने के लिए नियोक्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/ 409के अंतर्गत कार्रवाई।

** *****

अनुबंध-I

ईपीएफ अंशदान जमा की गई राशि के संबंध में श्री अरविंद सावंत और श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा दिनांक 19.03.2018 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3814 के भाग (क) और (ख) से संदर्भित विवरण

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल चूककर्ता प्रतिष्ठानों की संख्या संबंधी विवरण

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18, फरवरी, 2018 तक
1.	तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश	528	2471	1436	1866
2.	बिहार	28	96	74	359
3.	छत्तीसगढ़	302	141	295	1067
4.	दिल्ली	82	761	317	108
5.	गोवा	61	80	295	28
6.	दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली सहित गुजरात	287	1187	610	1125
7.	हरियाणा	185	758	507	297
8.	हिमाचल प्रदेश	0	280	143	110
9.	झारखंड	0	172	329	157
10.	कर्नाटक	1133	686	1625	2177
11.	केरल, लक्षद्वीप सहित	721	922	1034	441
12.	मध्य प्रदेश	446	319	542	325
13.	महाराष्ट्र	955	1675	3061	2385
14.	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र	233	247	81	27
15.	ओडिशा	73	219	238	107
16.	चंडीगढ़ सहित पंजाब	172	1835	3060	1347
17.	राजस्थान	182	275	545	499
18.	पुड्डुचेरी सहित तमिलनाडु	4091	2968	2016	1448
19.	उत्तर प्रदेश	67	1535	1041	685
20.	उत्तराखंड	51	23	53	175
21.	अंडमान निकोबार और सिक्किम सहित पश्चिम बंगाल	494	962	558	533
	कुल	**10091**	**17612**	**17860**	**15266**

अनुबंध-II

ईपीएफ अंशदान जमा की गई राशि के संबंध में श्री अरविंद सावंत और श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा दिनांक 19.03.2018 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3814 के भाग (ग) से (छ) से संदर्भित विवरण

31.03.2017 तक सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र में मांग का वितरण (सभी योजनाएं) (करोड़ रुपये में)					
क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**सार्वजनिक क्षेत्र**	**निजी क्षेत्र**	**सहकारी क्षेत्र**	**कुल मांग**
1	तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश	25.33	343.33	0.92	369.58
2	बिहार	9.11	41.63	0.37	51.10
3	छत्तीसगढ़	16.02	17.61	0.62	34.26
4	दिल्ली	0.00	815.32	0.00	815.32
5	गोवा	0.07	9.07	0.00	9.14
6	दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली सहित गुजरात	7.54	111.31	1.33	120.17
7	हरियाणा	0.19	112.86	2.15	115.20
8	हिमाचल प्रदेश	1.28	16.17	0.08	17.53
9	झारखंड	0.00	47.40	0.46	47.86
10	कर्नाटक	26.80	343.43	0.63	370.86
11	केरल, लक्षद्वीप सहित	42.13	336.19	38.51	416.84
12	मध्य प्रदेश	198.21	142.95	0.05	341.21
13	महाराष्ट्र	143.93	846.16	109.50	1099.59
14	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र	22.41	19.90	0.95	43.26
15	ओडिशा	626.75	58.41	25.49	710.64
16	चंडीगढ़ सहित पंजाब	38.84	91.78	0.21	130.82
17	राजस्थान	0.89	41.17	0.43	42.48
18	पुडुचेरी सहित तमिलनाडु	67.38	513.90	28.56	609.84
19	उत्तर प्रदेश	69.78	266.23	10.25	346.25
20	उत्तराखंड	25.67	19.09	0.00	44.76
21	अंडमान निकोबार और सिक्किम सहित पश्चिम बंगाल	37.82	458.03	0.39	496.24
	कुल	**1360.13**	**4651.93**	**220.89**	**6232.96**

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3815

सोमवार, 19 मार्च, 2018/28 फाल्गुन, 1939 (शक)

पीएफ की ब्याज दर

3815. श्री सुनील कुमार सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि हेतु 8.55 प्रतिशत ब्याज दर की सिफारिश करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसको कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है और सरकार द्वारा इस संबंध में तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त निर्णय के कारण कर्मचारियों को वर्ग-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितना लाभ हुआ/कितनी हानि हुई; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा भविष्य निधि की बढ़ाई और कम की गई ब्याज दरों और कर्मचारियों की आय पर उसके प्रभाव का तारीख-वार, मात्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर केन्द्रीय बोर्ड के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने अपनी 21.02.2018 को आयोजित बैठक में वर्ष 2017-18 के लिए ईपीएफ सदस्यों को 8.55 प्रतिशत की दर से ब्याज देने की सिफारिश की है। अब इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है ताकि वर्ष 2017-18 के लिए ईपीएफ अंशदाताओं को 8.55 प्रतिशत के ब्याज दर पर उनकी सहमति ली जा सके।

(ग) वर्ष 2017-18 के लिए कर्मचारियों/सदस्यों को लाभ स्वरूप ब्याज के लिए 8.55 प्रतिशत की दर से की गई सिफारिश से 46,016.34 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है। सदस्यों को दिए जाने वाले ब्याज को केवल व्यक्तिगत खातों में ही जमा किया जाता है।

(घ): पिछले तीन वर्षों के दौरान ईपीएफ पर घोषित ब्याज की दर निम्नवत है:-

वर्ष	ब्याज की दर (प्रतिशत में)	उस तिथि को जब ब्याज की दर घोषित की गई
2014-15	8.75	23.01.2015
2015-16	8.80	23.05.2016
2016-17	8.65	24.04.2017

किसी वर्ष के लिए ब्याज की समान दर सभी राज्यों के सभी पात्र सदस्यों पर लागू है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3887

सोमवार, 19 मार्च, 2018/28 फाल्गुन, 1939 (शक)

ईपीएस 1995

3887. श्री गजानन कीर्तिकर:

कुँवर हरिबंश सिंह:

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री ए. अनवर राजा:

श्री विद्युत बरण महतो:

श्री एस. आर. कुमार विजय:

श्री नारणभाई काछड़िया:

श्री टी. राधाकृष्णन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत नामांकित कर्मचारियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ईपीएस के अंतर्गत वितरित राशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 की समीक्षा और पुनरुद्धार हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है;

(ङ) क्या उप-समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समिति द्वारा की गई मुख्य अनुशंसाओं का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उक्त समिति द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने की कब तक संभावना है; और

(छ) सरकार द्वारा पेंशन धारकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): वर्तमान में, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत नामांकित कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला राज्य-वार/संघ राज्य-क्षेत्रवार विवरण अनुबंध-I पर है।

ख): कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान वितरित की गई राशि का विवरण दर्शाने वाला ब्यौरा अनुबंध-II पर है।

(ग) से (च): सरकार ने दिनांक 04.01.2018 के आदेश के माध्यम से श्री हीरा लाल सामरिया, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारियों तथा नियोक्ता प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य सदस्यों वाली उच्च शक्ति प्राप्त निगरानी समिति का गठन किया है, जो कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का पूर्ण मूल्यांकन तथा समीक्षा करेगी। समिति को दिनांक 04.01.2018 के आदेश के माध्यम से अपने गठन से तीन माह की अवधि के भीतर अपनी संस्तुतियां सरकार को प्रस्तुत करने का अधिदेश दिया गया है।

(छ): मासिक पेंशन का भुगतान माह की पहली तारीख को खाते में जमा कर दिया जाता है।

** *******

अनुबंध-I

ईपीएस,1995 के संबंध में श्री गजानन कीर्तिकर एवं अन्य संसद सदस्यों द्वारा दिनांक 19.03.2018 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3887 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**ईपीएस,1995 के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र –वार नामांकित कर्मचारियों की संख्या**
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	9928
2.	आंध्र प्रदेश	955073
3.	असम	271709
4.	बिहार	324582
5.	चंडीगढ़	362662
6.	छत्तीसगढ	368575
7.	दिल्ली	2403857
8.	गोवा	169712
9.	गुजरात	2729742
10.	हरियाणा	2061353
11.	हिमाचल प्रदेश	281111
12.	झारखंड	411698
13.	कर्नाटक	4718860
14.	केरल	968118
15.	मध्य प्रदेश	932616
16.	महाराष्ट्र	8074067
17.	ओडिशा	651682
18.	पंजाब	615150
19.	राजस्थान	944307
20.	तमिलनाडु	4571867
21.	तेलंगाना	2418466
22.	त्रिपुरा	29833
23.	उत्तर प्रदेश	1785647
24.	उत्तराखंड	481445
25.	पश्चिम बंगाल	2434253
	कुल	**3,89,76,313**

अनुबंध-II

ईपीएस,1995 के संबंध में श्री गजानन कीर्तिकर एवं अन्य संसद सदस्यों द्वारा दिनांक 19.03.2018 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3887 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क्र. सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष के दौरान वितरित राशि 2014-2015 (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के दौरान वितरित राशि 2015-2016 (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के दौरान वितरित राशि 2016 -2017 (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वितरित राशि (रुपये में)
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	41443790	52083220	54077066	54495279
2.	आंध्र प्रदेश	4475114723	4605644516	5213278830	5450882268
3.	असम	857910239	960210583	1115491505	1243173959
4.	बिहार	2152027103	2501037242	3196128763	2744272962
5.	चंडीगढ़	1266267801	1230821849	1332809546	1537683077
6.	छत्तीसगढ	1335216957	1790348586	1877928601	1745826230
7.	दिल्ली	5844923148	6066883511	7370860366	7672204275
8.	गोवा	588482507	597933327	660766166	687783292
9.	गुजरात	7614552179	8656934745	9452468507	10526037771
10.	हरियाणा	4724212579	4896223232	5867218723	6497460316
11.	हिमाचल प्रदेश	850522421	897478716	1046775415	1129572479
12.	झारखंड	2221319945	2634405638	2830463176	2722185272
13.	कर्नाटक	13571545200	12818370037	16188585275	16759253447
14.	केरल	5393607922	6137619579	7187205697	7807939851
15.	मध्य प्रदेश	3054938888	3607633544	3885220900	4254129645
16.	महाराष्ट्र	25424157287	27531954363	29826403323	31608485579
17.	ओडिशा	2457400127	2765597482	3256533196	3297913858
18.	पंजाब	2426738655	2623395816	2904981382	3193107319
19.	राजस्थान	2726526443	3102823870	3642691654	3521691310
20.	तमिलनाडु	14422989757	14678225423	17489390004	18725993134
21.	तेलंगाना	6654016237	6860411161	8054425412	7841481554
22.	त्रिपुरा	90735390	115646930	173406961	139173609
23.	उत्तर प्रदेश	7149830260	8278642087	9260988019	10047114735
24.	उत्तराखंड	1158680543	1335866604	1487087523	1719306794
25.	पश्चिम बंगाल	7575952684	8513429477	10183368961	10647107115

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3895

सोमवार, 19 मार्च, 2018/28 फाल्गुन, 1939 (शक)

बीड़ी कामगारों हेतु पीएफ योजना

3895. श्री सदाशिव लोखंडे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भविष्य निधि योजना के अंतर्गत कवर किए गए बीड़ी कामगारों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) देश में सभी कामगारों को मौजूदा श्रम कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध सभी लाभों को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा स्थापित तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ईपीएफओ कार्यालयों में कार्यरत/सक्रिय कतिपय बेइमान व्यक्तियों के अनैतिक कार्यों की जानकारी है जो कथित तौर पर कामगारों का शोषण कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कामगारों के शोषण को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार देश में कर्मचारी भविष्य निधि योजना,1952 के अंतर्गत 41,67,833 बीड़ी कामगार हैं। बीड़ी कामगारों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध में है।

(ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने चूककर्ता प्रतिष्ठानों से संबंधित कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एवं एमपी) अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल कामगारों के हितों की सुरक्षा करने हेतु निम्ननिखित कार्रवाईयां की हैं:

(i) देयताओं के निर्धारण हेतु अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई।

(ii) देयताओं को विलम्ब से जमा कराने के लिए हर्जाना लगाने हेतु अधिनियम की धारा 14ख के अंतर्गत कार्रवाई।

(iii) विलंब से भेजे गए धन के लिए ब्याज लगाने हेतु अधिनियम की धारा 7थ के अंतर्गत कार्रवाई।

(iv) अधिनियम की धारा 8ख से 8छ तक के अंतर्गत यथा उपबंधित वसूली की कार्रवाईयाँ।

(v) सक्षम न्यायालय के समक्ष चूककर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन दायर करने के लिए अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई।

(vi) कर्मचारियों की मजदूरी/वेतन से कटौती किए गए लेकिन निधि में जमा न कराए गए कर्मचारियों के अंशदान के शेयर की गैर-अदायगी के लिए नियोक्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत कार्रवाई।

(vii) प्रतिष्ठानों द्वारा चूक में कमी लाने के लिए चूक प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की गई है।

(ग) और (घ): ईपीएफओ कार्मिकों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होने पर ईपीएफओं में सतर्कता अधिकारियों द्वारा उन शिकायतों की जांच की जाती है। कामगारों की सुविधा के लिए ईपीएफओ द्वारा निम्नलिखित पद्धति सुधार उपाय किए गए हैं:-

(i) ईपीएफओ कार्मिकों के साथ संवाद न्यूनतम हो, ऐसी व्यवस्था करने के लिए अद्यतन सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से बेहतर एवं विश्वसनीय सेवा।

(ii) सीपीजीआरएएमएस एवं ईपीएफआईजीएमएस ऑन लाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टलों पर ऑन लाइन शिकायत पंजीकरण।

(iii) अनुपालन शिकायतें फील्ड कार्यालयों को ऑन लाइन भेजी जाती है तथा इन्हें मुख्यालय द्वारा मॉनीटर किया जा रहा है।

(iv) सत्यापित आधार तथा अद्यतन केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) के साथ सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) रखने वाले कामगारों के लिए सदस्य दावों का ऑनलाइन निपटान।

(v) सदस्य खातों का वास्तविक समय के अनुसार मासिक रूप से अद्यतनीकरण।

(vi) मृत्यु दावों के निपटान के लिए समयावधि को कम करके 7 दिन तथा अन्य दावों के लिए 10 दिन करना।

(vii) सेवानिवृत्ति की तारीख को ही पीएफ दावों का निपटान।

(viii) माह के प्रथम दिन मासिक पेंशन का भुगतान जमा किया जाना।

(ix) सभी देयताओं का भुगतान केवल राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक्स निधि अंतरण (एनईएफटी) मोड के माध्यम से किया जाता है।

*****

अनुबंध

बीड़ी कामगारों हेतु पीएफ योजना के संबंध में श्री सदाशिव लोखंडे, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 19.03.2018 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3895 के भाग (क) उत्तर में संदर्भित विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	31.12.2017 की स्थिति के अनुसार देश में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत शामिल बीड़ी कामगारों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	9766
2	असम	1665
3	बिहार	35712
4	छत्तीसगढ	18207
5	गुजरात	810
6	झारखंड	72717
7	कर्नाटक	652376
8	केरल	69562
9	मध्य प्रदेश	220951
10	महाराष्ट्र	195022
11	ओडिशा	162782
12	राजस्थान	25963
13	तमिल नाडू	720546
14	तेलंगाना	963413
15	त्रिपुरा	269
16	उत्तर प्रदेश	20072
17	पश्चिम बंगाल	998050
	कुल	**41,67,883**

******

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4875

सोमवार, 26 मार्च, 2018/5 चैत्र, 1940 (शक)

ईपीएफओ के नियमों में संशोधन

4875. श्री एम. बी.राजेश:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत दो वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) नियमों में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के सदस्य हेतु पेंशन प्राप्त करने के लिए ईपीएफओ द्वारा शामिल की गई नई शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इसके अंतर्गत पूंजी की वापसी का विकल्प उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): भविष्य निधि, पेंशन निधि और निक्षेप-संबद्ध बीमा निधि के संस्थापन के प्रावधान हेतु कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 एक सामाजिक सुरक्षा विधान है, और यह उन प्रतिष्ठानों पर लागू है, जो अनुसूची-I में सूचीबद्ध उद्योगों और संस्थापनाओं की श्रेणी से संबंधित हैं और जिनमें 20 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हों। उक्त अधिनियम के अंतर्गत तीन स्कीमें बनाई गई हैं, जिनमें (क) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) स्कीम, 1952; (ख) कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस), 1995; और (ग) कर्मचारी निक्षेप-संबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना, 1976 शामिल हैं।

पिछले दो वर्षों अर्थात् 2016 एवं 2017 के दौरान उपर्युक्त तीन स्कीमों में जो परिवर्तन या संशोधन किए गए हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न शामिल हैं:-

- मृत्यु की स्थिति में ईडीएलआई योजना, 1976 के अधीन अधिकतम बीमा लाभ को 3.60 लाख रुपये से बढ़ाकर 6.00 लाख रुपये करना;

- उस सदस्य की मृत्यु के संबंध में पेंशन निधि की देयता को सीमित करना, जिसका अंशदान 36 महीने की अवधि के लिए प्राप्त नहीं हुआ हो;
- ईपीएफ योजना, 1952 के पैराग्राफ 72(6) में संशोधन जहां पर शर्तों में परिवर्तन किया गया है, जिसके कारण भविष्य निधि खाता निष्क्रिय हो गया है;
- 'कर्मचारी' नामांकन अभियान, 2017 का शुभारंभ;
- स्कीमों के अंतर्गत नियोक्ताओं से अंशदान प्राप्त करने के लिए निजी बैंकों को अनुमति देने का प्रावधान;
- ईपीएफ स्कीम, 1952 के अंतर्गत प्रशासनिक प्रभारों को वेतन आदि के 0.85 % से कम करके 0.65% करना।

(ग): 01.09.2014 के बाद नए कर्मचारियों के मामले में ईपीएस,1995 के अंतर्गत सदस्यता लागू की गई है, जहां पर वेतन केवल 15,000/- रुपये से कम या इसके बराबर है। जो मौजूदा सदस्य 01.09.2014 को उच्चतर मजदूरी पर पेंशन निधि में अंशदान कर रहे थे उन्हें 01.09.2014 के बाद उच्चतर मजदूरी पर अंशदान करने का विकल्प रहेगा बशर्ते कि वे अतिरिक्त अंशदान के रूप में 15,000/- रुपये से अधिक वेतन पर 1.16 प्रतिशत की दर से अंशदान करें। नए विकल्प का उपयोग 1 सितम्बर, 2014 से 06 महीने की अवधि के अंदर किया जाना था, जिसे अधिकतम छः महीने के लिए बढ़ाया जा सकता था।

01.09.2014 से पेंशन योग्य वेतन 12 महीने के स्थान पर, पेंशन निधि की सदस्यता छोड़ने की तारीख से पूर्व साठ महीने का औसत मासिक वेतन होगा।

(घ): पूंजी की वापसी का प्रावधान 26.09.2008 से ईपीएस, 1995 से हटा दिया गया है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4908

सोमवार, 26 मार्च, 2018/5 चैत्र, 1940 (शक)

स्वायत्त और संगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु कल्याणकारी योजनाएं

4908. डॉ. कुलमणि सामल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्वायत्त और संगठित क्षेत्रें के कर्मचारियों हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में कुल कार्यबल के कितने प्रतिशत कर्मचारी स्वायत्त और संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं;

(ग) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में कर्मचारियों के कल्याण हेतु सरकार की किन्हीं नीतियों, अधिनियमों अथवा कार्यक्रमों में बदलाव अथवा संशोधन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में किये गए व्यय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): निम्नलिखित अधिनियम एवं उनके अधीन बनाई गई स्कीमों का अधिनियमन संगठित निजी क्षेत्र के कामगारों के कल्याण हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया गया है:-

i. कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और इसके अंतर्गत बनाई गई निम्नलिखित स्कीमें

(क) कर्मचारी भविष्य निधि(ईपीएफ) स्कीम, 1952;

(ख) कर्मचारी पेंशन स्कीम(ईपीएस), 1995; तथा

(ग) कर्मचारी निक्षेप-सहबद्ध बीमा(ईडीएलआई) स्कीम, 1976.

ii. कर्मचारी राज्य बीमा(ईएसआई) अधिनियम, 1948.

iii. उपदान संदाय अधिनियम, 1972.

iv. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961.

v. कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923.

(ख) देश के स्वायत्त और संगठित क्षेत्र में कार्यरत कुल कार्यबल के कर्मचारियों के प्रतिशत के संबंध में आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

तथापि, 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(ईपीएफओ) में सदस्यों के खातों की कुल संख्या 19.34 करोड़ है। इनमें से, वर्तमान में औसत अंशदान करने वाले अभिदाताओं की कुल संख्या 4.49 करोड़ है।

इसके अलावा, 31/03/2017 की स्थिति के अनुसार संगठित क्षेत्र में कार्यरत ईएसआई अधिनियम, 1948 के अंतर्गत व्याप्त कर्मचारियों की संख्या 2,93,21,060 है।

(ग) और (घ): उपर्युक्त अधिनियमों और स्कीमों की समीक्षा और संशोधन बदलते हुए सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य पर आधारित सतत प्रक्रिया है तथा इन स्कीमों के ध्येय/लक्ष्य को प्रभावी रूप से प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा नियमित रूप से उपाय किए जाते हैं। सरकार द्वारा किया गया ऐसा एक उपाय यह है कि ईपीएस, 1995 के अंतर्गत पैंशनधारकों के लिए 01.09.2014 से 1000/- रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पैंशन निर्धारित की गई है, जिसके लिए सरकार अपेक्षित बजटीय सहायता प्रदान कर रही है। सरकार द्वारा प्रदान की गई बजटीय सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	राशि(करोड़ रुपये में)
2014-15	439.46
2015-16	821.70
2016-17	813.06

इसके अलावा, पिछले 5 वर्षों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के लाभार्थियों के लिए ईएसआई योजना हेतु किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

			करोड़ रुपये में
वर्ष	चिकित्सा लाभ	नकद लाभ	अन्य लाभ
2012-13	4058.13	761.17	2.62
2013-14	4781.57	598.69	2.66
2014-15	5615.8	681.96	2.57
2015-16	5995.68	703.98	2.52
2016-17	6124.2	1517.93	2.45

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4944

सोमवार, 26 मार्च, 2018 / 5 चैत्र, 1940 (शक)

आउटसोर्सिंग एजेंसियों के कामगारों का कल्याण

4944. श्री अजय निषाद:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अर्ध-सरकारी विभागों और निजी कंपनियों में विभिन्न कार्यों को आउटसोर्स किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आउससोर्सिंग एजेंसियों द्वारा नियोजित लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा/श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र उपलब्ध है;

(ग) क्या सरकार ने कार्यों के कार्यान्वयन हेतु आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा नियोजित कामगारों की सेवा दशाओं तथा कल्याण की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र में प्रतिष्ठान, चाहे सरकारी हों अथवा निजी अपनी संबंधित आवश्यकताओं के अनुसार जॉब/कार्यों को आउटसोर्स कर सकते हैं। सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2005 केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों को कतिपय सेवाओं को आउटसोर्स करने की अनुमति देता है। प्रतिष्ठानों द्वारा कार्यों का आउटसोर्स करने के संबंध में आंकड़ों का अनुरक्षण केन्द्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है।

(ख) से (ङ): वर्तमान केन्द्रीय विधानों तथा उसके अंतर्गत कल्याणकारी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्र तथा राज्यों की अपनी-अपनी प्रवर्तन एजेंसियां हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में एक सुव्यवस्थित केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) विद्यमान है। मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के नियंत्रणाधीन उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) तथा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के देशव्यापी नेटवर्क को श्रम कानूनों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों/दावों का निपटान करने का अधिदेश प्राप्त है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4989

सोमवार, 26 मार्च, 2018 / 5 चैत्र, 1940 (शक)

श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा

4989. श्री राहुल कस्वां:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बेरोजगार, कुशल, अर्ध-कुशल कामगारों और कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का राजस्थान सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कामगारों और कृषि श्रमिकों हेतु एक नवीन नीति तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): केन्द्रीय सरकार असंगठित कामगारों को जीवन और अशक्तता छत्र, स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण से संबंधित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 क्रियान्वित कर रही है। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग 2008 के अधिनियम की अनुसूची I में यथा उल्लिखित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय); जननी सुरक्षा योजना (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय),

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं।

उपर्युक्त कल्याण योजनाओं के अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए असंगठित कामगारों को उनकी पात्रतानुसार जीवन एवं अशक्तता कवरेज प्रदान करने के लिए हाल ही में आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के साथ विलय करने का निर्णय लिया। ये विलयित योजनाएं वार्षिक 330/- रुपये के प्रीमियम पर मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये की कवरेज तथा वार्षिक 12 रुपये के प्रीमियम पर दुर्घटनाजन्य मौत तथा नि:शक्तता पर 2 लाख रुपये की कवरेज प्रदान करती हैं। ये समेकित योजनाएं भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। वार्षिक प्रीमियम का वहन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 आधार पर किया जाता है।

(ख) से (घ): बजटीय आवंटन और व्यय का योजना-वार ब्यौरा, और लाभार्थियों की यथा उपलब्ध संख्या अनुबंध-I और II पर है।

****

**

अनुबंध I

1. जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए एनएचएम के अंतर्गत जेएसवाई घटक हेतु राज्य-वार एसपीआईपी अनुमोदन तथा व्यय दर्शाने वाला विवरण

लाख रुपये में

क्र.सं.	**राज्य**	**2014-15**		**2015-16**		**2016-17***	
		एसपीआईपी अनुमोदन	**व्यय**	**एसपीआईपी अनुमोदन**	**व्यय**	**एसपीआईपी अनुमोदन**	**व्यय**
क. उच्च फोकस वाले राज्य							
1	बिहार	38714.80	29690.03	31298.31	29552.74	34339.76	12286.07
2	छत्तीसगढ़	6006.53	5294.70	6094.13	6190.44	6914.00	3890.94
3	हिमाचल प्रदेश	226.84	128.36	309.69	297.98	266.49	367.07
4	जम्मू और कश्मीर	2812.44	2167.13	3087.64	2249.78	2431.52	1450.37
5	झारखंड	8641.13	6239.85	9471.54	6599.19	7143.20	4415.89
6	मध्य प्रदेश	18979.77	17155.15	18565.50	18194.31	19240.00	12874.73
7	उड़ीसा	9827.84	9782.53	10219.04	9513.52	9546.32	6358.18
8	राजस्थान	19408.05	18364.16	20100.18	17783.60	17628.96	13521.54
9	उत्तर प्रदेश	50921.07	44171.54	51184.55	36764.38	51128.79	29638.58
10	उत्तराखंड	1907.20	1948.48	2113.23	1818.95	1741.45	1160.35
	उप कुल	**157445.67**	**134941.92**	**152443.81**	**128964.88**	**150380.49**	**85963.72**
ख. उत्तर-पूर्व राज्य							
11	अरूणाचल प्रदेश	181.90	84.74	230.52	139.49	202.28	51.58
12	असम	10494.20	9056.72	8534.18	8683.12	7156.48	6392.32
13	मणिपुर	197.02	229.04	234.26	294.61	234.26	140.57
14	मेघालय	368.13	234.73	416.13	296.60	462.11	240.19
15	मिजोरम	188.32	70.11	129.43	73.95	128.93	119.44
16	नागालैंड	175.90	120.63	184.14	79.89	182.36	31.78

17	सिक्किम	31.25	26.65	22.50	48.35	31.54	16.39
18	त्रिपुरा	291.87	252.43	318.65	292.51	318.90	178.58
	उप कुल	**11928.59**	**10075.04**	**10069.81**	**9908.52**	**8716.86**	**7170.85**
ग. गैर उच्च फोकस वाले राज्य							
19	आंध्र प्रदेश	2509.88	3019.07	2494.88	3258.77	2765.55	1653.04
20	गोवा	12.30	4.40	12.30	7.17	12.30	4.06
21	गुजरात	3580.20	3485.26	3616.47	3574.31	2823.37	2091.16
22	हरियाणा	433.39	710.57	535.42	717.48	546.55	350.44
23	कर्नाटक	6585.00	5499.98	6622.50	5987.91	7881.02	4119.74
24	केरल	1313.12	1372.41	1369.67	1389.32	1499.38	857.82
25	महाराष्ट्र	5263.99	4591.24	4982.31	4471.27	5087.17	2528.79
26	पंजाब	1109.24	1367.39	1109.24	1265.90	1081.74	888.41
27	तमिलनाडु	5243.87	4530.20	3991.95	3565.62	4133.57	2360.41
28	तेलंगाना	2282.65	1871.57	1827.50	2205.80	2133.45	1665.19
29	पश्चिम बंगाल	5967.49	6046.42	6975.84	5359.46	5640.00	3985.82
	उप कुल	**34301.13**	**32498.51**	**33538.08**	**31803.02**	**33604.10**	**20504.87**
घ. छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र							
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7.23	5.31	7.23	3.48	7.23	3.89
31	चंडीगढ़	6.12	7.35	13.82	5.79	9.51	6.65
32	दादरा और नागर हवेली	22.40	23.46	22.00	38.51	52.74	32.62
33	दमन एवं दीव	2.69	1.73	3.05	1.97	3.05	0.90
34	दिल्ली	230.00	118.19	200.85	118.77	161.00	57.85
35	लक्षद्वीप	6.91	9.37	12.13	5.33	12.13	3.07
36	पुडुचेरी	30.35	22.96	26.93	21.92	27.42	13.47
	उप कुल	**305.70**	**188.37**	**286.01**	**195.76**	**273.08**	**118.45**

	कुल योग	**203981.09**	**177703.85**	**196337.70**	**170872.18**	**192974.53**	**113757.89**

* अनंतिम

नोट:

1) एसपीआईपी का अभिप्राय राज्य कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना है।

2) व्यय में पिछले वर्ष का अव्ययित शेष, केन्द्रीय अनुदान तथा राज्य अंश शामिल है तथा यह 31.12.2016 तक अद्यतन है।

3) उपर्युक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जमा किए गए एफएमआर के अनुसार है।

अनुबंध- I

बजटीय आवंटन और व्यय से संबंधित योजना-वार विवरण

1. जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)

2014-15		2015-16		2016-17*	
एसपीआईपी अनुमोदन	**व्यय**	**एसपीआईपी अनुमोदन**	**व्यय**	**एसपीआईपी अनुमोदन**	**व्यय**
203981.09	**177703.85**	**196337.70**	**170872.18**	**192974.53**	**113757.89**

* अंनितम

नोट:

1) एसपीआईपी का अभिप्राय राज्य कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना है।

2) व्यय में पिछले वर्ष का अनखर्चा शेष, केन्द्रीय अनुदान और राज्य का हिस्सा शामिल है तथा यह 31.12.2016 तक अद्यतन किया गया है।

3) उपर्युक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एमएमआर के अनुसार हैं।

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस)

आईजीएनओएपीएस और एनएफबीएस के तहत निधियों का कुल व्यय (लाखों में)				
	जारी		रिपोर्ट किया गया व्यय	
	आईजीएनओएपीएस	एनएफबीएस	आईजीएनओएपीएस	एनएफबीएस
2014-15	418098.05	55781.27	686100.53	37780.44
2015-16	556269.07	63941.89	554623.63	47343.61
2016-17*	148044.42	18577.10	24459.79	2773.50
* अंनितम				

3. हस्तशिल्प बुनकर व्यापक कल्याण योजना

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय हस्तशिल्प कारीगरों की सुरक्षा और कल्याण हेतु कारीगर योजनाओं को प्रत्यक्ष लाभ क्रियान्वित कर रहा है। इन योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वितरित निधियों का ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है:

वर्ष	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
वितरित निधि (लाखों में)	14.97	244.93	1335.00	55.50

4. <u>हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना</u> (करोड़ रुपये में)

वर्ष	स्वास्थ्य बीमा योजना (एचआईएस)	महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना(एमजीबीबीवाई)
	निधि जारी की गई	निधि जारी की गई
2014-15	25.87	16.39
2015-16	01.94	16.67
2016-17	8.57	12.03

5. <u>आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई)</u>

सामाजिक सुरक्षा निधि तथा सामाजिक सुरक्षा छात्रवृत्ति निधि की स्थापना भारत सरकार द्वारा समाज के कमजोर और असुरक्षित वर्गों को बीमा छत्र विस्तारित करने तथा आम आदमी बीमा योजना के तहत शामिल सदस्यों के बच्चों को शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम को दोनों निधियों का प्रबंधन सौंपा गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निधि से व्यय इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

	सामाजिक सुरक्षा निधि	आम आदमी बीमा योजना छात्रावृत्ति निधि
वर्ष	व्यय	व्यय
2014-15	438.57	274.74
2015-16	436.58	204.88
2016-17	385.34	231.85
2017-18 (06/17 तक)	44.16	19.15

अनुबंध- II

Statement showing State-wise SPIP Approvals & Expenditure for the component JSY under NHM for the F.Ys. 2014-15 to 2016-17

Rs. In Lakhs

S.No.	State	2014-15		2015-16		2016-17*	
		SPIP Approvals	Expenditure	SPIP Approvals	Expenditure	SPIP Approvals	Expenditure
A. High Focus States							
1	Bihar	38714.80	29690.03	31298.31	29552.74	34339.76	12286.07
2	Chattisgarh	6006.53	5294.70	6094.13	6190.44	6914.00	3890.94
3	Himachal Pradesh	226.84	128.36	309.69	297.98	266.49	367.07
4	Jammu & Kashmir	2812.44	2167.13	3087.64	2249.78	2431.52	1450.37
5	Jharkhand	8641.13	6239.85	9471.54	6599.19	7143.20	4415.89
6	Madhya Pradesh	18979.77	17155.15	18565.50	18194.31	19240.00	12874.73
7	Orissa	9827.84	9782.53	10219.04	9513.52	9546.32	6358.18
8	Rajasthan	19408.05	18364.16	20100.18	17783.60	17628.96	13521.54
9	Uttar Pradesh	50921.07	44171.54	51184.55	36764.38	51128.79	29638.58
10	Uttarakhand	1907.20	1948.48	2113.23	1818.95	1741.45	1160.35
	Sub Total	**157445.67**	**134941.92**	**152443.81**	**128964.88**	**150380.49**	**85963.72**
B. North East States							
11	Arunachal Pradesh	181.90	84.74	230.52	139.49	202.28	51.58
12	Assam	10494.20	9056.72	8534.18	8683.12	7156.48	6392.32
13	Manipur	197.02	229.04	234.26	294.61	234.26	140.57
14	Meghalaya	368.13	234.73	416.13	296.60	462.11	240.19
15	Mizoram	188.32	70.11	129.43	73.95	128.93	119.44
16	Nagaland	175.90	120.63	184.14	79.89	182.36	31.78

17	Sikkim	31.25	26.65	22.50	48.35	31.54	16.39
18	Tripura	291.87	252.43	318.65	292.51	318.90	178.58
	Sub Total	**11928.59**	**10075.04**	**10069.81**	**9908.52**	**8716.86**	**7170.85**
C. Non-High Focus States							
19	Andhra Pradesh	2509.88	3019.07	2494.88	3258.77	2765.55	1653.04
20	Goa	12.30	4.40	12.30	7.17	12.30	4.06
21	Gujarat	3580.20	3485.26	3616.47	3574.31	2823.37	2091.16
22	Haryana	433.39	710.57	535.42	717.48	546.55	350.44
23	Karnataka	6585.00	5499.98	6622.50	5987.91	7881.02	4119.74
24	Kerala	1313.12	1372.41	1369.67	1389.32	1499.38	857.82
25	Maharashtra	5263.99	4591.24	4982.31	4471.27	5087.17	2528.79
26	Punjab	1109.24	1367.39	1109.24	1265.90	1081.74	888.41
27	Tamil Nadu	5243.87	4530.20	3991.95	3565.62	4133.57	2360.41
28	Telangana	2282.65	1871.57	1827.50	2205.80	2133.45	1665.19
29	West Bengal	5967.49	6046.42	6975.84	5359.46	5640.00	3985.82
	Sub Total	**34301.13**	**32498.51**	**33538.08**	**31803.02**	**33604.10**	**20504.87**
D. Small States/UTs							
30	Andaman & Nicobar Islands	7.23	5.31	7.23	3.48	7.23	3.89
31	Chandigarh	6.12	7.35	13.82	5.79	9.51	6.65
32	Dadra & Nagar Haveli	22.40	23.46	22.00	38.51	52.74	32.62
33	Daman & Diu	2.69	1.73	3.05	1.97	3.05	0.90
34	Delhi	230.00	118.19	200.85	118.77	161.00	57.85
35	Lakshadweep	6.91	9.37	12.13	5.33	12.13	3.07
36	Puducherry	30.35	22.96	26.93	21.92	27.42	13.47
	Sub Total	**305.70**	**188.37**	**286.01**	**195.76**	**273.08**	**118.45**

	Grand Total	**203981.09**	**177703.85**	**196337.70**	**170872.18**	**192974.53**	**113757.89**

* Provisional

Note:

1) SPIP stands for State Programme Implementation Plan.

2) Expenditure is inclusive of previous year's unspent balance, Central grant and State share and it is updated upto 31.12.2016.

3) The above figures are as per FMR submitted by the States/UTs.

2. Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS) and National Family Benefit Scheme (NFBS): -

Total expenditure of funds under IGNOAPS and NFBS (in lakhs)				
	Release		**Expenditure Reported**	
	IGNOAPS	NFBS	IGNOAPS	NFBS
2014-15	418098.05	55781.27	686100.53	37780.44
2015-16	556269.07	63941.89	554623.63	47343.61
2016-17*	148044.42	18577.10	24459.79	2773.50
* provisional				

3. Handicraft Weavers' Comprehensive Welfare Scheme

The office of Development Commissioner (Handicrafts) is implementing Direct Benefit to Artisans Schemes for the safety and welfare of Handicrafts Artisans The details of funds disbursed under these schemes during each of the last three years and the current year is as per detail given below:

Year	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
Funds disbursed (in lakhs)	14.97	244.93	1335.00	55.50

4. Handloom Weavers' Comprehensive Welfare Scheme

(Rs. In crores)

Year	Health Insurance Scheme (HIS)	Mahatma Gandhi Bunkar Bima Yojana (MGBBY)
	Fund released	Fund released
2014-15	25.87	16.39
2015-16	01.94	16.67
2016-17	8.57	12.03

5. Aam Aadmi Bima Yojana (AABY)

Social Security Fund was set up by Government of India for extending insurance cover to weaker and vulnerable sections of the society. Similarly, Social Security Scholarship fund was set up to provide the educational assistance to the children of the members' covered under Aam Admi Bima Yojana. LIC of India is entrusted with management of both the Funds. The outgo from the fund during last three years was as under.

Amt in Cr.

वित्तीय वर्ष	**सामाजिक सुरक्षा निधि से व्यय**	**छात्रवृत्ति निधि से व्ययOutgo from Scholarship fund**
2014-15	338.57	274.74
2015-16	436.58	204.88
2016-17	385.34	231.85

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5036

सोमवार, 26 मार्च, 2018 / 5 चैत्र, 1940 (शक)

ईपीएफओ के अंशदाता

5036. श्री पी. सी. मोहन

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंशदाताओं की कुल संख्या कितनी है और इसमें से उन अंशदाताओं की संख्या कितनी हैं जो अभी अंशदान कर रहे हैं;

(ख) वर्ष 2017-18 के दौरान ईपीएफओ द्वारा अर्जित की गई कुल आय कितनी है और ब्याज के रूप में संवितरित की जाने वाली राशि कितनी है;

(ग) वर्ष 2017-18 हेतु अपने अंशदाताओं के लिए ईपीएफओ द्वारा कितनी ब्याज दर निर्धारित की गई है;

(घ) क्या मंत्रालय ने उक्त ब्याज दर को तय करने के लिए वित्त मंत्रालय से स्वीकृति ले ली है; और (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) दिनांक 31.03.2017 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में सदस्यों के खातों की कुल संख्या 19.34 करोड़ है।

इनमें से, वर्तमान में औसत अंशदान करने वाले अंशदाताओं की कुल संख्या 4.49 करोड़ है।

(ख) एक वित्तीय वर्ष के दौरान ईपीएफओ द्वारा अर्जित कुल आय उस वित्तीय वर्ष के खातो के समापन के बाद उपलब्ध होती है। 2017-18 वित्तीय वर्ष अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और खातों को तैयार नहीं किया गया है। तथापि, 2017-18 वर्ष में कर्मचारी भविष्य निधि पर अनुमानित आय में ब्याज के रूप में जमा करने के लिए 46602.96

करोड़ रूपये की राशि अनुमानित की गई है। आज की तारीख में, ईपीएफओ द्वारा सदस्यों के खातों में 1319.68 करोड़ रूपये की राशि ब्याज रूप में जमा की गई है।

(ग)से (ड.) कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर केन्द्रीय बोर्ड के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) दिनांक 21.02.2018 को आयोजित अपनी बैठक में 2017-2018 वर्ष के लिए ईपीएफ सदस्यों के लिए 8.55 प्रतिशत की ब्याज दर की सिफारिश की है। यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को उनकी सहमति के लिए 2017-18 वर्ष के लिए ईपीएफ अंशदाताओं को 8.55 प्रतिशत की ब्याज दर देने के लिए अब भेजा गया है।

******

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5543
सोमवार, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 (शक)

कौशल विकास के माध्यम से पीएमआरपीवाई

5543. श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचरः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में कौशल विकास के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) को बढ़ावा दे रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) पीएमआरपीवाई की शुरुआत के बाद से अब तक केरल राज्य को संवितरित की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और
(घ) केरल में अभी तक उक्त योजना के अंतर्गत कितने कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) नए रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करती है, जिसमें भारत सरकार नियोक्ताओं के अंशदान के 8.33% शेयर का भुगतान कर रही है, जो नए कर्मचारियों के लिए पहले तीन वर्षों हेतु कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) में जाती है। यह योजना 15,000/- रुपए प्रति माह कमाने वाले कर्मचारियों के लिए लक्षित है और इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में अनौपचारिक कामगारों को औपचारिक बनाना भी है। इस योजना के अंतर्गत नए कामगारों की संगठित क्षेत्र के सामाजिक लाभ तक भी पहुंच होगी।

योजना के आरंभ से (9.8.2016 से 22.3.2018 तक) प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत केरल राज्य में 18.52 करोड़ रुपए संवितरित किए जा चुके हैं।

योजना के आरंभ से (9.8.2016 से 22.3.2018 तक) प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत केरल राज्य में 64,820 कर्मचारियों को लाभ मिल चुका है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5548

सोमवार, 2 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 (शक)

निजी भविष्य निधि न्यास

5548. श्रीमती के. मरगथम

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का 500 निजी भविष्य निधि न्यासों को अपने दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसी निजी भविष्य निधि न्यासों में से प्रत्येक की ईपीएफ जमा राशि लगभग 1.0 करोड़ रुपये की है अथवा 20 तक की संख्या में सदस्यों को ईपीएफओ के दायरे में लाया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईपीएफओ का 1,000 से अधिक ऐसे न्यासों की निगरानी बढ़ाने का विचार भी है जिनके अंशदाताओं की संख्या काफी अधिक है और जो बड़े पैमाने पर ईपीएफओ जमा राशि का प्रबंधन करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): जी, नहीं।

(ग) और (घ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन लगातार ऐसे भविष्य निधि ट्रस्टों की निगरानी में सुधार की कोशिश करता है जिन्हें ईपीएफओ के समग्र नियामक ढ़ांचे के तहत सरकार द्वारा अपने भविष्य निधि ट्रस्ट को बनाए रखने की अनुमति दी गई है।

इस प्रयास में, निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए ईपीएफओ ने मासिक आधार पर छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों द्वारा ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर लांच किया है। सभी छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के अनुपालन लेखा परीक्षा उनके अनुपालन को सत्यापित करने के लिए किया जाता है।

***

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5571

सोमवार, 2 अप्रैल, 2018/12 चैत्र 1940 (शक)

ईपीएफ अंशदान जमा करने में चूककर्ता

5571. श्री गोपाल शेट्टी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में कामगारों और कार्मिकों से संग्रहित की गई भविष्य निधि की राशि को संबंधित प्राधिकारियों को जमा नहीं करवाने वाले चूककर्ताओं की संख्या और तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बकाया राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान देश में कामगारों से संग्रहित, ऐसी लंबित निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जिसे संबंधित भविष्य निधि प्राधिकारियों को जमा नहीं करवाया गया;

(घ) क्या सरकार ने दोषी/चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): पिछले पांच वर्षों के लिए कामगारों से एकत्र करने के पश्चात भविष्य निधि देय राशियों को जमा न कराने वाले चूककर्ताओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुबंध 'क' पर संलग्न है।

(ख) से (ङ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा निम्नलिखित दांडिक कार्रवाईयां की गई हैं, ताकि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर किए गए कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उनके हितों का संरक्षण किया जा सके।

(1) अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत चूककर्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ बकायों के आकलन के लिए कार्रवाई।

(2) अधिनियम की धारा 14 ख के अंतर्गत बकायों को देर से जमा करने के लिए जुर्माना लगाने की कार्रवाई।

(3) देरी से जमा कराने पर अधिनियम की धारा 7थ के अंतर्गत ब्याज लगाने की कार्रवाई।

(4) अधिनियम की धारा 8ख से धारा 8छ के अंतर्गत वसूली की कार्रवाई (बैंक खातों की कुर्की, चल संपत्ति की कुर्की, अचल संपत्ति की कुर्की, चूककर्ताओं की गिरफ्तारी एवं सार्वजनिक नीलामी)।

(5) अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में चूककर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन दायर करने की कार्रवाई।

(6) कर्मचारियों की मजदूरी/वेतन से कर्मचारी के हिस्से के अंशदान की कटौती करके उसे निधि में जमा नहीं कराने पर नियोक्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406/409 के अंतर्गत कार्रवाई।

नियोक्ताओं के हिस्से और कर्मचारियों के हिस्से की संपूर्ण राशि के लिए कानून के अंतर्गत भविष्य निधि बकायों का आकलन और वसूली की कार्रवाईयां की जाती हैं। पिछले पांच वर्षों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि की लंबित राशि की वसूली का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-'ख' पर है।

** ****

अनुबंध-क

ईपीएफ अंशदान जमा करने में चूककर्ता संबंधी श्री गोपाल शेट्टी द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5571 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण

नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों की मजदूरी/वेतन से कटौती करके उसे जमा नहीं कराने वाले मामलों की संख्या (भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860 की धारा 406/409 के अंतर्गत पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष दायर मामले)					
राज्य	**वर्ष 2012-13 के लिए कार्यभार**	**वर्ष 2013-14 के लिए कार्यभार**	**वर्ष 2014-15 के लिए कार्यभार**	**वर्ष 2015-16 के लिए कार्यभार**	**वर्ष 2016-17 के लिए कार्यभार**
आंध्र प्रदेश	95	96	90	92	92
बिहार	31	31	32	32	32
छत्तीसगढ़	5	5	0	0	0
दिल्ली	75	79	94	120	124
गोवा	95	95	95	74	39
दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली सहित गुजरात	402	402	403	403	341
हरियाणा	14	10	10	37	37
हिमाचल प्रदेश	6	17	20	31	44
झारखंड	8	8	8	8	8
कर्नाटक	1029	883	698	397	390
केरल	1212	1248	682	671	422
मध्य प्रदेश	91	91	88	88	88
महाराष्ट्र	450	435	532	540	579
असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र	87	87	35	36	37
ओडिशा	107	107	107	111	111
चंडीगढ सहित पंजाब	60	54	57	54	59
राजस्थान	40	41	13	16	17
पुडुचेरी सहित तमिलनाडु	1762	1927	1728	1743	1768
तेलंगाना	129	152	167	183	194
उत्तर प्रदेश	32	27	11	24	17
उत्तराखंड	4	4	5	6	6
अंडमान एवं निकोबार तथा सिक्किम सहित पश्चिम बंगाल	1367	1406	1440	1511	1558
कुल	7101	7205	6315	6177	5963

अनुबंध-ख

ईपीएफ अंशदान जमा करने में चूककर्ता संबंधी श्री गोपाल शेट्टी द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5571 के भाग (ख) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण

पिछले 5 वर्षों के लिए राज्य / संघ शासित प्रदेश के लिए ईपीएफ देय राशि की वसूली की लंबित राशि का विवरण (मजदूरों से संचित राशि सहित जमा नहीं किया गया)

(करोड़ रूपए में)

राज्य	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
राज्य	39.05	44.63	57.53	72.77	90.98
आंध्र प्रदेश	21.65	14.94	21.39	19.45	30.75
बिहार	21.36	22.07	23.84	21.20	22.03
छत्तीसगढ़	551.37	659.21	316.69	463.37	529.04
दिल्ली	3.44	3.65	5.58	6.34	5.78
गोवा	47.57	65.25	70.37	73.31	72.25
दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली सहित गुजरात	31.37	34.74	44.89	66.68	70.63
हरियाणा	1.75	1.72	12.24	15.77	10.48
हिमाचल प्रदेश	13.87	12.12	10.64	16.98	23.15
झारखंड	139.38	158.76	172.01	203.49	254.54
कर्नाटक	161.25	157.14	203.22	238.47	276.92
केरल	160.91	186.21	187.48	205.79	212.82
मध्य प्रदेश	338.83	370.68	423.24	526.06	789.52
महाराष्ट्र	17.40	22.25	25.15	26.09	27.16
असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र	71.78	74.17	428.51	442.32	460.74
ओडिशा	75.12	66.39	77.80	75.90	83.58
चंडीगढ सहित पंजाब	20.04	19.05	24.51	25.41	27.76
राजस्थान	180.42	210.22	289.09	345.13	391.07
पुडुचेरी सहित तमिलनाडु	93.77	88.96	131.48	115.38	146.59
तेलंगाना	140.46	143.58	154.84	183.96	224.19
उत्तर प्रदेश	30.59	21.79	24.84	27.92	29.86
उत्तराखंड	110.67	137.72	215.28	293.60	331.98
अंडमान एवं निकोबार तथा सिक्किम सहित पश्चिम बंगाल	2272.05	2515.25	2920.62	3465.38	4111.82

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5585

सोमवार, 2 अप्रैल, 2018/12 चैत्र 1940 (शक)

अप्रचालनशील ईपीएफ खातों में पड़ी अदावाकृत राशि

5585. श्रीमती रेखा वर्मा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक कर्मचारी भविष्य निधि के अप्रचालनशील खातों में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितनी अदावाकृत राशि पड़ी है;

(ख) विगत वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त धनराशि पर ब्याज के भुगतान हेतु कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अदावाकृत/निष्क्रिय पड़ी धनराशि को उपयोग में लाने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) स्कीम, 1952 में अदावाकृत राशि को परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) स्कीम, 1952 के पैरा 72(6) के अनुसार, कुछ निधियों को निष्क्रिय खातों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे सभी निष्क्रिय खातों के निश्चित दावेदार होते हैं।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने दिनांक 11 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना सं सा.का.नि. 1065(अ) क तहत इपीएफ स्कीम, 1952 के अनुच्छेद 72(6) को संशोधित कर दिया है जिसमें परिवर्तन किए गए हैं। संशोधित परिभाषा के अनुसार, जहां जन्म तिथि उपलब्ध हो ऐसे निष्क्रिय खातों में राशि 1094.09 करोड़ रुपये हैं। निष्क्रिय खातों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पास अलग से उपलब्ध नहीं है।

(ख): इपीएफ स्कीम, 1952 के पैराग्राफ 60(6) के अनुसार, किसी सदस्य के खाते में उस तारीख से ब्याज जमा नहीं किया जाएगा जिससे वह इपीएफ स्कीम, 1952 के पैराग्राफ 72(6) के अंतर्गत निष्क्रिय खाता बन गया है।

जारी----2/-

(ग) और (घ): निधि का न्यासी होने के नाते कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अलग-अलग सदस्य खाते का रख-रखाव करता है तथा सदस्यों के खाते में उपलब्ध जमा राशि का केवल आवेदन जमा होने पर ही सदस्यों को भुगतान करता है। इस तरह निष्क्रिय खाते में पड़ी राशि का उपयोग सदस्यों के खाते के निपटान के सिवाय अन्य किसी प्रयोजनार्थ नहीं किया जा सकता है।

वित्त अधिनियम, 2015 ने 'वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि' की स्थापना की है, जिसका वित्तपोषण सात वर्ष की अवधि के लिए अदावाकृत रहे किसी जमा शेष में से होगा। 'वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि नियम, 2016' में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के खातों को अदावाकृत राशियों के अंतरण हेतु योजनाओं में से एक (योजना) के रूप में चिह्नित किया गया है।

यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि (इपीएफ) के अंतर्गत निष्क्रिय खाते में पड़ी धनराशि वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में अंतरित कर दी जाए और इस का उपयोग ईपीएस पेंशनधारकों के लाभार्थ किया जाए। इसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पतालों के माध्यम से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 पेंशनधारकों को चिकित्सा सुविधाएं विस्तारित करने संबंधी आशय की प्रायोगिक योजना तैयार कर ली गई है और अनुमोदनार्थ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेजी गई है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5602

सोमवार, 2 अप्रैल, 2018/12 चैत्र 1940 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा आवास ऋण का भुगतान

5602. श्री पी. सी. मोहन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंशदाताओं को उनकी भविष्य निधि के और भविष्य में किए जाने वाले और वर्तमान में किए जा रहे अंशदान से आवास ऋण का भुगतान करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सुविध सभी रैंकों और श्रेणियों के पीएफ अंशदाताओं के लिए उपलब्ध होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ईपीएफओ परियोजना अनुमोदित हो जाती है, तो बैंकों जैसे वित्तीय संस्थाओं से कर्मचारियों द्वारा लिए गए ऋण के प्रति एक प्रतिभूतिदाता होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मंत्रलय अंशदाताओं को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रलय द्वारा दी जा रही राजसहायता का लाभ उठाने की अनुमति देगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): रिहायशी मकान अथवा फ्लैट खरीदने अथवा रिहायशी मकान निर्माण के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से आहरण हेतु सरकार ने दिनांक 12 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 351(अ) द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 में पैराग्राफ 68खघ अन्त:स्थापित किया है।

जारी–2/-

भविष्य निधि से निकासी की राशि नियोक्ता के हिस्से के अंशदान और उस पर ब्याज तथा कर्मचारी के हिस्से के अंशदान और उस पर ब्याज के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

इस योजना में परिकल्पना की गई है, कि कोई सदस्य अपने नाम से अथवा सदस्य की पति/पत्नी अथवा सदस्य और पति/पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से लिए गए ऋण के किसी बकाया मूलधन अथवा ब्याज के पूर्णतया अथवा आंशिकत:, पुनर्भुगतान हेतु मासिक किश्त अधिकृत कर सकता है।

(ग) ईपीएफ योजना, 1952 के पैराग्राफ 68खघ(3) के अनुसार, इस पैराग्राफ के अंतर्गत कोई निकासी प्रदान नहीं की जाएगी:-

I) जब तक कि सदस्य की कम से कम तीन वर्षों के लिए निधि की सदस्यता न हो।
II) एक से अधिक बार।
III) जब तक कि सदस्य की / अथवा पति-पत्नी जो एक सदस्य भी है, को साथ मिलाकर, उनकी निधि में जमा राशि में ब्याज सहित अंशदान का हिस्सा बीस हज़ार रूपये से कम न हो।

(घ): ईपीएफ योजना, 1952 के पैराग्राफ 68खघ(2) के परंतुक के अनुसार, आयुक्त समझौते के पक्षकारों के कृत्य के लिए जिम्मेदार अथवा उत्तरदायी नहीं होगा अथवा खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा।

इसके अतिरिक्त ईपीएफ योजना, 1952 के पैराग्राफ 68खघ(4) के परंतुक के अनुसार, जब सदस्य की सदस्यता विद्यमान रहनी ख़त्म हो जाती है, अथवा जहां सदस्य के खाते में जमा राशि किसी भी महीने की मासिक किस्त का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तो, आयुक्त अथवा जहां आयुक्त द्वारा ऐसे प्राधिकृत अपने अधीनस्थ कोई अन्य अधिकारी मासिक किस्त अथवा कोई विलम्ब-शुल्क अथवा ब्याज अथवा अन्य ऐसे प्रभारों का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे।

(ड.) और (च): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा स्कीम में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा उनकी स्कीम की शर्तों के अनुसार दी जाने वाली सहायिकी का लाभ उठाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5621

सोमवार, 2 अप्रैल, 2018/12 चैत्र 1940 (शक)

ईपीएफओ अंशदाताओं का पंजीकरण

5621. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:

श्री अनिल शिरोले:

श्री जॉर्ज बेकर:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सहित देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत ग्राहकों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) रोजगार डाटा सर्वेक्षण के अंतर्गत कंपनी हेतु निर्धारित मापदंड का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का मौजूदा सर्वेक्षण में कुछ संशोधन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इसके कब तक कार्यान्वियत किए जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंतर्गत पंजीकृत सदस्य खातों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख): श्रम ब्यूरो ने क्रमिक तिमाहियों में गैर-कृषि औद्योगिक अर्थव्यवस्था के काफी बड़े भाग में नियोजन की स्थिति में सापेक्ष परिवर्तन को मापने के लिए तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) कराया था। सर्वेक्षण में शामिल की जाने वाली इकाई अर्थात् कंपनी/साझेदार फर्म /एकायत्त फर्म आदि के लिए मुख्य मापदण्ड यह है कि चयनित आठ प्रमुख संगठित क्षेत्र नामत: निर्माण, सन्निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं रेस्तरां तथा आईटी/बीपीओ के 10 या इससे अधिक कामगारों वाले प्रतिष्ठान का, जो छठी आर्थिक जनगणना (2013-14) में शामिल हैं, उक्त सर्वेक्षण के लिए प्रतिदर्श ढांचे के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

(ग) एवं (घ): सरकार ने हाल ही में तिमाही रोजगार सर्वेक्षण, (क्यूईएस) जिसे क्षेत्र ढांचा सर्वेक्षण के नाम से जाना जाएगा, के कवरेज का विस्तार 10 से कम कामगारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को भी शामिल करके किया है, जो तिमाही आधार पर रोजगार परिदृश्य में परिवर्तन के सम्पूर्ण चित्र को प्रस्तुत करेगा। इस सर्वेक्षण के वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित होने का अनुमान है।

* ****

अनुबंध

ईपीएफओ अंशदाताओं का पंजीकरण के संबंध में श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा दिनांक 02.04.2018 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5621 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण

31.03.2017 के अनुसार ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों के खातों की संख्या		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**सदस्यों के खातों की संख्या**
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	34933
2.	आंध्र प्रदेश	3755279
3.	अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय सहित असम	945193
4.	बिहार	1235709
5.	चंडीगढ़	3160330
6.	छत्तीसगढ़	1547123
7.	दिल्ली	15546706
8.	गोवा	1316705
9.	दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव सहित गुजरात	15260059
10.	हरियाणा	14041586
11.	हिमाचल प्रदेश	1362504
12.	झारखण्ड	1997937
13.	कर्नाटक	22497385
14.	केरल सहित लक्ष द्वीप	2973688
15.	मध्य प्रदेश	4403751
16.	महाराष्ट्र	38417086
17.	ओडिशा	2925452
18.	पंजाब	3051343
19.	राजस्थान	4923490
20.	पुदुचेरी सहित तमिलनाडु	23653089
21.	तेलंगाना	10692231
22.	उत्तर प्रदेश	8349214
23.	उत्तराखण्ड	2714724
24.	सिक्किम सहित पश्चिम बंगाल	8586283
	कुल	**193391860**

******

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5622

सोमवार, 2 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 (शक)

ईपीएफओ खातों में अंशदाता ब्यौरा

5622. श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लगभग 80 मिलियन खातों में से बड़ी संख्या में कथित तौर पर अंशधारकों के संबंध में पर्याप्त पूर्ण विवरण नहीं हैं जिसमें उनकी ज्वाइन करने की तिथि, जन्म तिथि और पिता का नाम इत्यादि शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार में ईपीएफओ खातों में अंशधारकों के ब्यौरों की उपलब्ध्ता सुनिश्चित करने हेतु कोई संवीक्षा समिति स्थापित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): ऐसे कुछ खाते है, जहां रिकॉर्डों में जन्म तिथि सहित अंशधारकों का विवरण उपलब्ध नहीं है। जिन खातों में कार्यग्रहण की तारीख, जन्म तिथि या पिता का नाम उपलब्ध नहीं है, वे निम्नुसार है:

रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं	खातों की संख्या
जन्म तिथि	83804469
कार्य ग्रहण की तारीख	78306246
पिता का नाम	110731613

(ख) और (ग): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के सभी सदस्यों से संबंधित सभी विवरणों को पूरा करना एक नियमित और सतत प्रक्रिया है।

*****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5649

सोमवार, 2 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 (शक)

एक्सचेंज ट्रेड फंड में ईपीएफओ का निवेश

5649. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एक्सचेंज ट्रेड फंड में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कायिक निधि में से कितना प्रतिशत निवेश किया गया है और 2014 से 2017 के दौरान ईपीएफओ जमाओं की अनुमानित धनराशि कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि कर्मचारियों/उपभोक्ताओं का पैसा शेयर बाजार की अनिश्चितता से सुरक्षित और अप्रभावित रहे?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): वर्तमान में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की 15 प्रतिशत निवेश-योग्य निधि का निवेश विनिमेय व्यापार निधियों(ईटीएफ) में किया जाता है। ईटीएफ में निवेश अगस्त, 2015 से आरंभ हुआ तथा दिसम्बर, 2017 तक ईटीएफ में निवेश की कुल राशि 37,667.58 करोड़ रुपये है।

(ख): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड(सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि ने 31.03.2015 को सम्पन्न अपनी 207वीं बैठक में इक्विटी और संबंधित निवेश वर्ग में केवल विनिमेय व्यापार निधियों(ईटीएफ) में निवेश करने का निर्णय लिया है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5699

सोमवार, 2 अप्रैल, 2018/12 चैत्र 1940 (शक)

ईपीएफ योजना में संशोधन

5699. श्रीमती के. मरगथम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफ), 1952 में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त संशोधन का मुख्य लक्ष्य लघु निजी भविष्य निधि न्यास को ईपीएफओ के दायरे में वापस लाना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): सदस्यों को अधिक सुविधा एवं लाभ उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 को विकसित होती प्रौद्योगिकी के अनुरूप बनाने हेतु इसमें संशोधन एक सतत प्रक्रिया है।

(ग): जी, नहीं।

(घ): उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5701

सोमवार, 2 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 (शक)

वेतन से भविष्य निधि बचत में कटौती की दर

5701. श्री राम चरित्र निषाद :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वेतन से भविष्य निधि बचत में कटौती की दर 12 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की कमी लाने का प्रस्ताव नहीं लाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्मचारी शुरू में उक्त प्रस्ताव से सहमति हेतु अनिच्छुक थे परंतु अब भविष्य निधि बचत में 10 प्रतिशत की बजाए 12 प्रतिशत योगदान करने हेतु सहमत हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एवं एमपी) अधिनियम, 1952 के अंतर्गत अंशदान की दर को वर्तमान 12 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत करने हेतु एक कार्यसूची मद पर दिनांक 27.05.2017 को केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की 218वीं बैठक में विचार-विमर्श किया गया था।

कर्मचारी, नियोक्ता तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि अंशदान की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने के खिलाफ थे। तत्पश्चात, इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5730.

सोमवार, 2 अप्रैल, 2018/12 चैत्र 1940 (शक)

ईपीएफ खातों के ढांचे में बदलाव

5730. श्री पी. सी. मोहन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पीएफ खाताधारकों के लिये पारदर्शिता सहित कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खातों के ढांचे में बदलाव करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उस राशि का प्रतिशत बढ़ाने का कोई विचार है जिसे बढ़ते अंशदान से इक्विटी बाजार में लगाया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पीएफ खाताधारकों के खातों में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में निवेश की गई राशि के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या ईपीएफ खाताधारकों के खाता बंद होने के समय अपने खाते की शेष राशि में ईटीएफ राशि प्राप्त होगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अंशदाताओं को ईपीएफ जमा किस मूल्य पर दिया जाएगा?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ने दिनांक 23.11.2017 को आयोजित अपनी 219वीं बैठक में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में निवेश के लिए लेखांकन नीति का अनुमोदन किया है जिससे अभिदातओं को ईटीएफ में उनके निवेश के लिए यूनिटें आबंटित की जाएंगी।

(ग): ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

(घ): केन्द्रीय बोर्ड, ईपीएफ ने दिनांक 23.11.2017 को आयोजित अपनी 219वीं बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के लिए इक्विटी (ईटीएफ) में निवेश के लेखांकन हेतु नीति का अनुमोदन किया है।

(ड.) और (च): ईपीएफ खाता धारक खाता बंद करने के समय अपने खाते में अपनी ईपीएफ राशि प्राप्त करेंगे।

नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) में परिलक्षित लागू बाजार मूल्य पर अभिदाताओं को ईटीएफ जमा धन दिया जाएगा।

******

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 430

सोमवार, 26 मार्च, 2018/ 5 चैत्र, 1940 (शक)

ऑनलाइन भविष्य निधि निकासी

***430. श्री एस.आर. विजय कुमार:**
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 10 लाख रुपये से अधिक के भविष्य निधि की निकासी के दावों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं तथा नए मानदंड से कर्मचारियों को कितना लाभ होने की संभावना है;

(ग) क्या ईपीएफओ का भविष्य निधि की अग्रिम/निकासी का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ और मानदंड निर्धारित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ईपीएफओ को कागज रहित संगठन बनाने की दिशा में इसके द्वारा उठाए गए अन्य कदमों/उठाए जा रहे अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य निधि खाते से निकासी/अग्रिम के लिए आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए तथा भविष्य निधि की राशि के संवितरण में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* ****

ऑनलाइन भविष्य निधि निकासी के संबंध में श्री एस.आर. विजय कुमार तथा श्री सुधीर गुप्ता द्वारा दिनांक 26.03.2018 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 430 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): जी, हां। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का उद्देश्य कर्मचारियों द्वारा भौतिक दावा फार्मों को व्यक्तिगत रूप से जमा कराने के स्थान पर ऑनलाइन ढंग से इलैक्ट्रॉनिक फाइलिंग द्वारा कागज रहित संगठन बनना है। इससे फाइलिंग प्रकिया के साथ-साथ दावों के निपटान को गति मिलेगी।

(ग): जी, नहीं। वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ): स्वयं को कागज रहित कार्यालय बनाने के लिए ईपीएफओ द्वारा चिन्हित/की गई विभिन्न प्रशासनिक एवं तकनीकी पहलों में ये पहलें शामिल हैं:-

i) पेपर दावे जमा करने से बचने के लिए सभी दावों को ऑनलाइन ढंग से प्राप्त करने हेतु प्रोत्सहित करना। कर्मचारियों के सभी दावे ऑनलाइन मोड के माध्यम से भरकर प्राप्त करने हेतु प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित किया जाता है।
ii) इस संबंध में पहले से ही जारी निदेशों के अनुसार सदस्यों के सभी फार्म-9 समुचित अनुमोदन से ऑनलाइन किए जाने हैं।
iii) ईपीएफओ के सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक फाइलों पर इलैक्ट्रॉनिक ढंग से प्रोसेसिंग।
iv) मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, ईपीएफओ के प्रत्येक कार्मिक का सेवा विवरण/अभिलेख इलैक्ट्रॉनिक ढंग से रखा गया है।

(ङ): भविष्य निधि (पीएफ) खाते से निकासी के त्वरित निपटान हेतु ईपीएफओ द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i) दावाकर्ताओं द्वारा विभिन्न दावा फार्मों को ऑनलाइन ढंग से जमा करना।
ii) पूर्ववर्ती अनेक दावा फार्मों संख्या 19/10ग/31 के स्थान पर स्व-प्रमाणन के साथ एक पृष्ठ वाला कम्पोजिट दावा फार्म (आधार/गैर-आधार) प्रारम्भ किया गया है, जिससे सदस्यों द्वारा विभिन्न दावों को जमा करना आसान हो गया है।
iii) 50,000/-रुपये तक के दावों को निपटाने की शक्तियां अनुभाग पर्यवेक्षकों को सौंपी गयी हैं।
iv) दावे फाइल करने सहित ईपीएफओ की सेवाएं कर्मचारियों के लिए भी एकीकृत की गई हैं तथा भारत सरकार के यूनिफाइड मोबाइल अप्लीकेशन फॉर न्यू-ऐज गर्वनेंस (उमंग) ऐप के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।
v) इंटरनेट बैंकिंग (आईएनबी) के माध्यम से देयों के भुगतान के लिए नियोक्ताओं हेतु यूनिफाइड पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे नियोक्ताओं

द्वारा किसी भी समय, कहीं पर भी ऑनलाइन पहुंच के माध्यम से त्वरित भुगतान में वृद्धि होती है तथा चूक कम होती हैं।

vi) राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के आने के पश्चात्, मासिक पेंशन के भुगतान सहित सभी भुगतान सीधे दावाकर्ताओं के बैंक खातों में जमा किए जाते हैं।

vii) नियोक्ताओं के लिए देय राशि जमा करने के साथ-साथ इलैक्ट्रॉनिक ढंग से अपनी विवरणी दाखिल करने हेतु इलैक्ट्रॉनिक चालान-सह-विवरणी (ईसीआर) का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, भविष्य निधि राशि के भुगतान में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) नामक विशिष्ट स्थायी संख्या आबंटित की है जो सदस्यों की पहचान करने में समर्थ बनाती है।

****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 439

सोमवार, 26 मार्च, 2018/5 चैत्र, 1940 (शक)

चाय बागान श्रमिक

***439. श्री राम प्रसाद सरमा**:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मौजूदा अथवा पूर्व चाय बागान श्रमिकों की मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को पर्याप्त मुआवजा देने के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास चाय बागान श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए कोई नीति/योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* *****

"चाय बागान श्रमिक" के संबंध में श्री राम प्रसाद सरमा द्वारा दिनांक 26.03.2018 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 439 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

****

(क) और (ख): जी, नहीं। तथापि, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत जोकि संगठित चाय बागानों पर लागू है, कामगारों के आश्रितों के लिए मुआवजा का उपबंध विद्यमान है।

(ग) और (घ): बागान श्रम अधिनियम, 1951 में टी एस्टेटों द्वारा चाय बागान कामगारों को मूलभूत कल्याणकारी सेवाएं एवं सुविधाएं नामत: आवास, चिकित्सा एवं प्राथमिक शिक्षा, जलापूर्ति, स्वच्छता इत्यादि प्रदान करने का अधिदेश है। इसके अतिरिक्त, चाय उद्योग के कामगार कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, उपदान संदान अधिनियम, 1972, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, बोनस संदाय अधिनियम, 1965, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, असम चाय बागान भविष्य निधि, पेंशन निधि तथा निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि स्कीम अधिनियम, 1955- केवल असम के लिए, जैसे सभी सामाजिक सुरक्षा विधानों द्वारा कवर होते हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार टी एस्टेटों में टी-बोर्ड के माध्यम से चाय बागान कामगारों और उनके आश्रितों के लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों को क्रियान्वित करती है। मानव संसाधन विकास(एचआरडी) योजना के अंतर्गत टी-बोर्ड द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी गतिविधियों का उद्देश्य कामगारों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार करना, कामगारों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना तथा चाय उत्पादकों/कामगारों के कौशल में सुधार हेतु प्रशिक्षण देना है।

****